the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. *See* No. LT-LT 516/87 for (a) and (b).]

Report and Accounts (1986-87) of the Hindustan Prefab Limited New Delhi and related papers

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHINA KIDWAI): Sir, I lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Thirty-fourth Annual Report and Accounts of Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 1986-87, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company.. [Placed in Library. *See* No. LT-5183/87 for (i) and (ii)].

I. Report for the academic year 1985-86 of the Film and Television Institute of India, Pune and related papers.

II. Accounts (1986-87) of the Film and Television Institute of India, Pune and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report of the Film and Television Institute of India Pune for the academic year 1985-86.

(ii) Annual Accounts of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 1986-87 and the Audit Report thereon.

(iii) Review by Government on the working of the Institute. [Placed in Library. *See* No. LT-5119/87 for (i) to (iii)].

Memorandum re. Report (1979-80) of the commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Memorandum outlining the detailed action taken on the recommendations contained in the Second Annual Report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1979-80. [Placed in Library. *See* No. LT-5150/87].

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under the Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): on behalf of SHRI B. K. GADHVI: Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 913(E), dated the 16th November, 1987, amending Notification No. 345/86-Customs, dated the 16th June 1986, so as to delete the words 'Mica Capacitors or Mica Capacitor Plates", in Column (4) against serial No 94 in the Table annexed thereto, together with an explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. *See* No LT-5177/87].

Delhi Apartment Ownership Rules, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): Sir, I beg to lay on the Table, under

sub-section (3) of section 27 of the Delhi Apartment Ownership Act, 1986, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Urban Development Notification G S.R. No. 914(E), dated the 17th November, 1987, publishing the Delhi Apartment Ownership Rules, 1987. [Placed in Library. See No. LT-5121/87].

Report and Accounts (1986-87) of the Hindustan Zinc Limited, Udaipur and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Twenty-first Annual Report and Accounts of the Hindustan Zinc Limited, Udaipur, for the year 1986-87, together with the Auditors' Report on the Accounts, and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. See No. LT-5168/87 for (i) and (ii)].

THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I introduce the Bill.

REPORTED REMARKS OF THE HOME MINISTER, SHRI BUTA SINGH, AGAINST THE CHIEF MINISTER OF ANDHRA PRADESH —Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Salve to continue.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are starting with a point of order?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA Now, Mr Salve is the Chairman of the Finance Commission. While conceding his right as a Member to speak on this subject, since he has essentially to deal with the Chief Ministers of various States, I hope he will refrain from making such remarks which will embitter his relations with the State Governments and Chief Ministers.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): I am grateful to the hon. Member for his initial comments. In fact...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has raised a point of order. I have to give a ruling.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: It is a suggestion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. It is a piece of advice.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Madam, on a point of order. Yesterday, Shri Shiv Shanker while refuting my charge against him for making aspersions...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Madam, I am on a point of order.

SHRI DIPEN GHOSH: Let me be allowed to raise my point of order. If I am wrong, I will sit down. But I must be allowed to complete.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर होता है। (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bansal, unless I permit, you cannot speak like this.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, while making a submission, Shri Shiv Shanker, in regard to what I charged, said that he did not say that. But I have a full text with me here. I have a full text of his speech wherein....

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He is using this as an opportunity.... (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: I have got the full text from him... (*Interruptions*) wherein he has made aspersions against Supreme Court (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: This cannot be the subject of a point of order. Please sit down.

SHRI DIPEN GHOSH: Then you ask him also to sit down.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : कल मैंने इस पर आपत्ति उठाई थी कि आप सबमिशन के लिए मत दीजिए । मैं पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता था, आपने कहा मैं सबमिशन दे रही हूं और अपने शिवशंकर जी को सबमिशन करने का अधिकार दिया ।

उपसभापति : इसलिए मैंने पाइंट उठाया था कि अगर किसी मिनिस्टर को इनन्डोज किया जाता है ... (धन्यवाद)

SHRI DIPEN GHOSH: That is why I say it was not innuendo. I have got a full text from him. It is not innuendo, I will prove that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You were making innuendoes. In that case, if any such statement is made, the Minister has a right there and then to refute the charge. (*Interruptions*). I am on my legs, It will not go on record. (*Interruptions*). Mr. Bansal, why are you raising all this- I am on my legs, you should see that. (*Interruptions*). Please sit down. Therefore, I gave him the permission which was according to the rules and you cannot challenge that.

SHRI DIPEN GHOSH: The Minister cannot be allowed to mislead the House. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, please sit down. Let the debate start. I will request all the Members not to create any bitterness out of this. Let us have a smooth and peaceful discussion. After all, you are all—again I would like to repeat—learned elders, seasoned persons, very sensible, having a sense of understanding. Therefore, I will request all the Members to please bear with other Members.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam Deputy Chairman, I am grateful for the kind advice of Shri Upendra I assure him and I assure the House that I am conscious of my responsibility, my official responsibility and I know how important it is to maintain harmonious relations between the Centre and States, conducive to the very federal polity in the Constitution. It is a game which both the Centre and the States must play. If the Central Ministers must refrain from making certain comments, it is equally expected that the Chief Ministers will also refrain from making reckless, irresponsible, malicious, false allegations against the Prime Minister or against our party. It is something in which the States should also realise their responsibility.

Speaking for myself, so far as the C.M. is concerned, I am shocked at the evidence that has come here. I do not want to levy any charges against him. But I am sure, if I should want to sympathise with him, Mr. Upendra should have no objections. It is a very unsavoury subject which is being debated, not conforming to the highest traditions of this House. I wish that the subject was never raised in this House. There is some confusion as to what the subject matter is. The subject, according to me, is, the gross impropriety involved in the reported charges levelled during the Zila Parishad elections of Guntur by Union Home Minister against the Chief Minister of Andhra Pradesh, accusing him of indulging in anti-national, separatist activities, corruption and committing economic offences. This is the subject matter of this debate.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: There is something more than that, that is, the interference in State administration, warning the officials, all these things are there.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Propriety of Central Ministers.... (*Interruptions*).

SHRI N. K. P. SALVE: The heart of the matter is . . . (*Interruptions*)... Kindly bear with me and protect me.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): He should say all the facts, not half facts.

SHRI N. K. P. SALVE: According to me, the heart of the matter is the impropriety on the part of the Home Minister in accusing the Chief Minister of various charges, inclusive of corruption committing economic offences and separatist activities. The other charges that have been levelled, for the purpose of formulation of the subject matter, are not important from the viewpoint that we have now before us. Listen to me...

For this reason we have now. . . (*Interruptions*) Listen to me...

THE DEPUTY CHAIRMAN Mr. Reddy, why are you interrupting? Please sit down.

SHRI N. K. P. SALVE: This is very unpalatable subject and if we have been forced to debate this, let us take it in a dignified and restrained manner and I really hope . . yes on other side . . and I honestly hope that if Telugu Desam Party does feel a litle cornered.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: why cornered?

SHRI N. K. P. SALVE: All right, I am very happy.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You are cornered, on the contrary. You are in the dock. Yau are to reply.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): You have no face to show because of your policies. You are cornered.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): On a point of order, Madam, Mr Salve, you should be gallant enough to yield to me.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Don't provoke Mr. Salve. He wants to speak in a dignified way.

SHRI N. K. P. SALVE: I want to submit that if feels that it is not cornered... All right.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Once and for all I want to place on record....**

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the point of order? Ther is no point of order. It will not go on record.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am very happy that the Telugu Desam Party does not feel that either it is cornered or is at the receiving end. Therefore, it is ever the more necessary that whereas the Home Minister is in the dock, if he is in the dock, while he is in the dock, one

**Not recorded.

[Shri N. K. P. Salve]

who is acusing should show the same forebearance and dignity which he is showing. But as I have said, in the end.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Mr. Salve has already brought defame and disgrace. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody, please sit down. Mr. Reddy, please sit down. One minute....I would like to request the hon. Members that if you try to raise objection to each and every word that is uttered, this is not....may be, that may be his view and your view may not be the same, but he has right to express his vitws, unless and until it is unparliamentary. He should not say anything which is unparliamentary or against the rules. But then he has the right to express his views. You cannot take objection to each and every word. You cannot carry on a discussion in this manner. So bear with him. If some different views are expressed, you have to be tolerant. You may not agree with those views. So, please. I once again request all the hon. Members to carry on the business smoothly. Yes, Mr. Salve.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, the question involves censuring of no less a person than the Home Minister of India. We take this matter very seriously. The conduct and character of a Chief Minister is involved. That is an equally serious matter. Shouting, contradicting, is not going to solve the problem. In fact, I would very much...(*Interruptions*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Again you are starting the same thing

(*Interruptions*)...

SHRI N. K. P. SALVE: I would very much want that if this is a challenge on the Telugu Desam, you convert this challenge into an oportunity and clear Mr. N. T. Rama Rao clearlp of the charges of corruption being levelled against him throughout the length and bdeadth of the country.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: On a point of order...(*Interruptions*)... Madam, yesterday you set the parameters of the discussion and it is not Mr. N. T. Rama Rao's conduct or his performance which is under discussion today. If they want that, that is a different issue. You can take another opportunity, if necessary, and in that case we will take the opportunity of discussing every Chief Minister's actions and every Chief Minister's performance. If they are prepared, we are prepared for a special discussion on the performance of the Congress Chief Ministers and our Chief Minister. We are ready for a discussion. But this is not the subject. Today's subject is the Home Minister's utterances. Therefore, you confine to those things only.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, it is necessary ...

श्री राम अवधेश सिंह : आपकी व्यवस्था क्या हुई, महोदया, इन्होंने जो सवाल उठाया है, उस पर ?

उपसभापति : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Whether he can charge N. T. Rama Rao and raise a discussion ...

SHRI N. K. P. SALVE: I am not charging I am going to consider the charges levelled by the Home Minister in the context of the conduct and character of the Chief Minister. It is a very delicate matter... (*Interruptions*)... The federal policy ... (*Interruptions*) ...

SHRI DIPEN GHOSH: Will the Home Minister agree that he has made charges? (*Interruptions*) ... Then let there be a debate.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): He should withdraw those words.... (*Interruptions*)...Then let us have a discussion on the conduct and character of Rajiv Gandhi ... (*Interruptions*) ...

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Madam, yesterday I repeatedly argued with Mr. Upen-

dra and Mr. Dipen Ghosh that these are press reports. When I get the opportunity. I will say what I have to say. Before, that, these reports are the subject-matter of discussion before this House. Whatever is contained in these reports, allegedly, is the subject on which every Member has a right to reflect, and whatever facts are mentioned, so long as I do not own or disown them, they are very much the property of this House for discussion and nobody can stop us from commenting on them ... (*Interruptions*) ...

SHRI V. GOPALSAMY. But he cannot use the words "conduct and character" against the Chief Minister. He should withdraw those words ... (*Interruptions*)... Mr. Salve referred to Members the conduct and character of Mr. Rama Rao. He should withdraw those words. Otherwise we should discuss the conduct and character of Mr. Rajiv Gandhi here. (*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: Madam Deputy Chairman if you consult the proceedings of yesterday, when I referred to a particular utterance having been made...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You are raising the same point again. .... (*Interruptions*) ..I have given my ruling on that.

SHRI DIPEN GHOSH: You must listen to me. First of all you must listen to me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can't raise it. I have given my ruling on that. You can't raise it again. Yesterday also I gave my ruling on that. Today also I have given. You are referring to Mr. Shiv Shanker.

SHRI DIPEN GHOSH: How can you give a ruling without hearing me first?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just now you mentioned... (*Interruptions*). . You said that yesterday... (*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: Without hearing me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have heard. You are raising the same point.

SHRI DIPEN GHOSH: Just listen.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not listening. You are raising the same point again.

SHRI DIPEN GHOSH: How do you know?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know it. You started with...

SHRI DIPEN GHOSH: How can you know what is in my mind?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You started by saying... (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: I say it is wrong. Unless and until you hear me, you cannot give your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have given my ruling... (*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: How can you?

THE DEPUTY CHAIRMAN. I am on my legs. I will give you a chance. I have allowed Mr. Gurupadaswamy. (*Interruption*) Please sit down.

SHRI M. S. GURUPADASAMY (Karnataka): We are ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed. Why does everybody want to speak in between?

SRHI M. S. GURUPADASAMY: She has allowed me. Why are you bothered. Why are you exercised? I have taken her permission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have allowed him. Please be quiet.

SHRI M S GURUPADASWAMY: Madam, I think, you did not understand what he was saying. That is all I say. He is not referring to that matter.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is raising the mater...

SHRI DIPEN GHOSH: No, Madam. This is custom.. . .

SHRI M. S. GURUPADASAMY: Just a minute. I would beg of you that the Chair should be tolerant. That is all I would say.

SHRI DIPEN GHOSH: On a point of order, Madam. Yesterday, when I referred to a remark attributed to Mr. Buta Singh, quoting from the "NEWS-TIME", it was Mr. Buta Singh who said, "You are taking whatever has been reported in the newspaper as gospel truth." Now he is saying, when Mr. Salve is quoting and we are objecting, that whatever has been reported can be the subject matter of the discussion. How is it?

SHRI BUTA SINGH: Madam, let me make it very clear, what I said now and what I said yesterday was that so long as I give my version on the reports, they have to be treated here, and I was telling you not to treat them as gospel truth.

They are the subject matter. On their basis, Madam, in your presence, a very senior, highly respected Member of this august House, called me indecent, uncultured and what not. If that is so, then, Mr. Salve has every right to dwell upon that very subject.

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Salve has the right to treat it as gospel truth.

SHRI BUTA SINGH: Yes, he has to put his point of view, and there should not be any objection to that.

PROF. C. LAKSHMANNA. Madam Deputy Chairman, I would like to raise on this . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sit down, Prof. Lakshmana. I am not going to allow. If on every word you are going to raise a point of order, it is not according to the Rules of Business.

PROF. C. LAKSHMANNA: I am on a point of order on what he has said. That is all.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: We heard Mr. Kulkarni with patience. We did not interrupt him. Let them be within limits. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is this again? Will a fresh discussion start on only a point of order?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Madam, I have been quoted by a newspaper, and I must bring it to your notice. The proceedings are there on what I have said. I never said 'so-called Chief Minister." I advisedly used the expression "so-called leader."

PROF. C. LAKSHMANNA: The Home Minister has just now said that whether what has been advocated by him in the elections is a fact, he would tell later, but for the present what appeared in the papers is the subject matter. What has appeared in the papers is the subject matter to the extent the Home Minister in a particular public meeting or in a series of public meetings stated certain things, but what he has said about the Chief Minister or other Ministers

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: How can you separate?

PROF. C. LAKSHMANNA: Yes, we have to separate them for two reasons. I will tell you the reasons. Rule 238 clearly says that an officer in high authority cannot be made the subject matter of a discussion in the House because he is not in a position to defend. You have given a ruling on that. That is correct. Secondly, you have also given a ruling that from the judgment the findings and the decree could be quoted. If we take these two things into consideration, it is very clear that there cannot be a discussion about Shri Rama Rao, and there can be a discussion only on how the Home Minister tried to use the opportunity of addressing the public meetings only to condemn the State Givernment, to condemn the State officials and so on and so forth. That is the basic issue. Therefore, so long as the discussion is confined to this basic issue. there is no problem. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Have you finished?

PROF. C. LAKSHMANNA: No, Madam, I am finishing.

Taking advantagt of the situation the Members may talk something else, and in the end the Home Minister will say, "I have never said these things." That will give a lie to what is happening. Therefore, they should not, by your own direction, by your own judgment, by your own ruling, refer to a person who is not present here. Secondly, they could talk about what has been said in defence of that. That is all. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I was listening to Prof. Lakshmanna with great patience. I would like to draw your kind attention to Rule 238 to be observed while speaking. Yesterday we had all agreed on certain modalities and forms and methods and we are all agreed that we are going to debate this subject. Rule 238, sub-clause (viii) says:

> "A member, while speaking shall not . . . . use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the Council."

This was not done. Actually what is happening from that side was only to obstruct the proceedings of the House Opinions were expressed. Disagreement is not a point of order. Prof. Lakshmanna has a disagreement. Disagreement is not a point of order and point of order cannot be misused on this forum. Point of order cannot be misused as a point of disagreement. Disagreement is one when the Opposition Members are free to express their opinions, when they speak. It is not for obstructing any Member in between.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would advise the Member not to please interrupt in between now.

SHRI N. K. P SALVE: I agree with what Prof. Lakshmanna says, we are considering his conduct. But that is not in the vacuum. Is it in the air or is it wth reference to what he is reported to have said? And what he reportedly said, it is that which impinges on the question of the conduct and character of the Chief Ministtr. (*Interruptions*). That is my thinking of the matter.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: No. (*Interruptions*)

SHRI N. K. P. SALVE: That is my thinking of the matter. You are entitled to have your own view. And if he is making comments in an irresponsible manner

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: That is not the subject under discussion.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He has raised a pertinent point. It is not the conduct of the Chief Minister which is under discussion. (*Interruptions*)

SHRI N. K. P. SALVE: If he has spoken the truth, do we condemn him? But if he is maliciously false, if he is reckless, if he is irresponsible, then all of us would like to censure him very much Let us examine the matter a little more cooly and objectively. Infact, it is an opportunity where really Mr. N.T.R. would have been cleared of the extremely malicious charges.

SHRI PARVATHNENI UPENDRA: First let Rajiv Gandhi clear himself. It is not NTR, it is Rajiv Gandhi, who should clear himself Clear Rajiv Gandhi first on Bofors. Let Rajiv Gandhi clear himself on Bofors. (*Interruptions*)

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, speaking as he deputy leader of my party in this House, not once, not one hundred times, but one thousand times we are willing to discuss Bofors and we will never say, don't refer to this, don't refer to that Let there be a full discussion and let it be honestly decided. whether we are guilty of anything (*Interruptions*)

SHRI B SATYANARAYAN REDDY: Befors and also the conduct of the Prime Minister, Rajiv Gandhi. Let it be discussed. (*Interruptions*) Is he prepared to have a discusssion?

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, it is irrelevant, but permit me to say that

[Shri N. K. P. Salve]

we are not scared, we are not intimidated. Why do they feel intimidated? At the most in the innocent comments which I am making in my speech, have I said for a moment that Mr. N. T. Rama Rao is guilty of the charges which he has levelled against him? Have I said so? *(Interruptions)* But let us examine.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Lakshmanna, no sooner the name of Mr. N. T. Rama Rao comes, you and others get up and start... *(Interruptions)* You see the whole issue has come up...*(Interruptions)* Listen now. You are not listening to me.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Say Mr. Buta Singh, not NTR. *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: NTR and Mr. Kapoori Thakur. *(Interruptions)*

SHRI N. K. P. SALVE: They should discuss the conduct of the Home Minister but not in a vacuum. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen, something was reported in the press and allegedly Mr Buta Singh who is the Home Minister has said something against the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr N. T. Rama Rao...*(interruptions)*. Listen, the Home Minister, Mr Buta Singh has said something but about whom and against whom? *(Interruptions)* Listen, without any substantive motion if they cannot even utter the name of Mr N. T. Rama Rao, without any substantive motion you cannot also utter the name of the Home Minister.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: I have given a notice.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have to bear. *(Interruptions)* You are not allowing me to speak. To what extent you have gone? You don't allow the Members and you don't allow other also to speak What type of obstruction is it?

I can show you what Mr. P. Upendra has said yesterday He said that the subject matter should be what has been reported in the Press. That is the subject matter. In the press it has been reported the name of the Home Minister and the Chief Minister also. Therefore, you may say... *(interruptions)*. This is rather over-sensitive. If there are false allegations those charges should be refuted—if he has not said it he will have to say he has not said it—if the charges are not true you will have to say. But what is being discussed is the alleged charges against somebody made by somebody. That is in the press.

SOME HON MEMBERS: No, no.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: We will not allow you to change the nature of discussion.

SHRI N. K. P. SALVE: Reported charges.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are reported charges.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You are trying to change the entire complexion of the discussion. We won't allow. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't try to do that. *(Interrputions)* I am on my legs. You said that it should be converted into a debate and the whole House agreed to it and it was accepted.

SHRI BUTA SINGH: I accepted it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Upendra, you said that the subject matter should be about the special mention which you wanted to make and the special mention was about the reported matter which came in the press and whatever appeared in the press about that only he is going to talk.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Madam, I am on a point of order. My point of order is we are all along, as you have rightly pointed out, discussing on the alleged newspaper report of "Newstime" yesterday and wasted our time. But today for heaven's sake, I would request my friends, let us be very brief and come to some conclusion because today is Friday. Madam, my good friends are having pavlovian reflexes whenever NTR's name is mentioned. They should not have pavlovian reflexes. They should be

straight to accept what is coming from this side. They have initiated the discussion. We have not initiated. (*Interruptions*). Why are you worried?

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I am on a point of order. The issue before us is....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen, these are four or five Members from this side who want to raise a point of order. side and four or five Members from that Now, if I allow you I have to allow them also.

SHRI V. GOPALSAMY: How Mr. Kulkarni was allowed?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed Mr. Gurupadaswamy also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: The point of order should be discussed first

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have accepted the advice given by Mr. M. S. Gurupadaswamy that the Chair should be tolerant. I am going to be tolerant and I advise Members from both the sides to be tolerant. Let us conclude this debate. Please do not interrupt. If everybody starts interrupting, then the Member cannot finish his speech and then protracted discussion would go on. That is the whole thing. Therefore, I request everybody to be somewhat tolerant and you will have every chance to say whatever you want to say when your turn comes.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, give me 10 minutes uninterruptedly and I will finish absolutely. You yourself have formulated the subject matter and I am very grateful to you, Madam.

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): No, no, that is not the subject matter.

(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I am on a point of order. Madam, the issue before us is the blackmailing attitude of the Home Minister against the State Government That is the issue we are discussing here. (*Interruptions*).

SHRI BUTA SINGH: Madam, I take serious objection to the remarks made by the hon. Member. The attitude of the Opposition is to tarnish my image without giving me a chance.

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salve please do not yield now.

AN HON'BLE MEMBER: It is unparliamentary.

SHRI N. K. P SALVE: I will not yield, Madam. Nothing is unparliamentary What he has said is sacrosanct and I will confine myself to the subject matter and the moment you find that I am irrelevant to this subject, you can stop me. Madam, I am one who personally has respect for Mr. N T. Rama Rao. Now, there is a derisive smile from here, (*Interruption*) and there is a reason why I have respect for Mr. N. T. Rama Rao.

SHRI A. G. KULKARNI: He is a good actor.

SHRI N. K. P. SALVE: No, no, it is a serious matter. It is not for his histrionic talents. (*Interruption*). Madam, I have never seen Telugu pictures. I do not know his histrionic talents but there is a different reason for which I have respect for him. I had been to the general electioneering against his Party and at that time, I realised that the people of Andhra Pradesh looked upon him with very great reverence. They looked upon him as a person who came as a messiah, as a redeemer of the people of Andhra Pradesh. They said in a meeting, it was a saint who had strayed into politics, a very unsavoury profession which is the last last refuge of a scoundrel. (*Interruption*).

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: And you entered politics earlier.

SHRI N K. P. SALVE: I have entered earlier and I am a politician

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Then you are a scoundrel first.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He must withdraw that word.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am a political and if politicians are scoundrels, then really I do not know what

[Shri N. K. P. Salve]

would be expect of me to call Mr. N. T. Rama Rao? He has strayed into politics at any rate. (*Interruptions*). Madam, he was a pious man (*Interruptions*). Madam, I am not going to yield. He was a pious man who came as a redeemer, who came as a messiah for the people of Andhra Pradesh, he is maliciously being maligned; charges are being levelled against him. Is there not a campaign of vilification all these days going on against him? (*Interruptions*). I am not yeilding. Madam, the campaign of vilification which is being carried out against him does not do good and is not very desirable for a stable State Government Therefore, it was absolutely necessary that this sort of a campaign should be put an end to and if you have allowed a debate here, I personally feel this is the highest temple of the people of the country and Mr. N. T. Rama Rao's character assassination process could have been put an end to here.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA. It is not necessary now.

SHRI N. K. P. SALVE: And if you think it is not necessary here, you are unnecessarily avoiding a very real issue. If I have to condemn Mr. Butta Sngh, if I have to condemn the Home Minister Madam, it is necessary, as you pointed out that if the maliciously, dishonestly, tendentiously and without any purpose, recklessly accused him of the reported charges, then I submit, he is a person who is not worthy of a berth in the Union Cabinet. But if there is a basis for it, I hope it is not their case that though what Mr Buta Singh has spoken is the truth, in the interest of the State and the Centre relationship, he should not have spoken the truth. He went for an election campaign there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI N. K. P. SALVE: Whether it is important or not, whether a Minister should go or not, is a different story. Let us agree to disagree on that. One thing is clear. (*Interruptions*) If he has gone there for electioneering...(*Interruptions*) Let us agree to disagree on that. We think it is important for him to go. Our party leader has sent him and he has gone there. That is not the subject of controversy here. But if he had gone there for electioneering, surely he was not going to eulogise N. T. Rama Rao and his party. He was not going to establish a case that he was the paragon of virtue or the absolute embodiment of morality. He had gone there to run down the party and the leader. In the process of running down—as the Home Minister he carries a very special and delicate responsibility—if he had not acted in a manner which is really responsible, reasonable, if he had acted on the basis of irrelevant material, immaterial considerations, if there was no truth in what he was saying, his guilt would have been conclusively there. Now what happens? Yesterday, when the matter was going on, Mr. Upendra, no doubt, very frankly tried to refute the charges levelled by Mr. Buta Singh, but both Mr. Dipen Ghosh and Mr Gurupadaswamy did not say a single word about the charges. They merrily swalloded what the charges were. (*Interruptions*) They merely said thaat the language used by him was improper and that the Home Minister should not indulge in this kind .. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Madam Deputy Chairman, I am on a point of order.

SHRI N. K P. SALVE: I am not yeilding. The question is, if the Home Minister is acting on the basis of . . . (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, I am on a point of order.. . (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Madam Deputy Chairman. I am on a point of order. You are going to create a precedent if I am not allowed. (*Interruptions*) You are going to create a wrong precedent that a Member is not allowed to raise a point of order. It is a serious question. (*Interruptions*) I am on a point of order.

SHRI N K. P. SALVE: I will continue. (*Interruptions*) The question is this (*Interruptions*)...prima facie evidence implicat- that the Chief Minister is indulging in the

activities .. (*Interruptions*) ...the Mome Minister is reported to have alleged against him... (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Madam Deputy Chairman, yesterday we said that history is going to be created. But that does not mean that to create history, the rule book will be thrown to the winds. Even if I am on a point of order. I am not being heard. How is it? This is the rule book. How is it? Is this the last day of this House? Is this the last day of Parliament of India, when everything has to be thrown to the winds? (*Interruptions*) No. I am going to raise the point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipen Ghosh, please come to your point of order.

SHRI DIPEN GHOSH: The point of order is Rule 238. My point of order is this.

Rule 238· *Rules to be observed while speaking*: A member while speaking shall not --

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending:

(ii) make a personal charge against a member:

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Houses or any State Legislature:

(iv) reflect on any determination of the Council except on a motion for rescinding it:

(v) reflect upon the conduct of persons in high authoright unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.

This is my point, that we are not discussing any substantive motion drawn in proper terms, though yesterday liberally you gave a ruling, let there be a debate on that special mention. (*Interruption*) Madam, I must be heard. Mr. Salve said that Dipen Ghosh or Gurupadaswamy did not rebut the charges or support the charges It was because I wanted to go by the rules. I did not want to make any charge or discuss on the basis of any charge. I would, therefore, request you kindly to draw the attention of the Members to this particular aspect that since we are not discussing any substantive motion, we should not discuss the conduct or character of any person in high position, more so when he is not present in the House to defend himself. Thank you.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : बहुत अच्छा प्वाइंट आफ आर्डर इन्होंने रेज किया है । .... (**व्यवधान**) ...जरा सुन लीजिए । एक आदमी ने शादी की । तीन बच्चे होने के बाद उसे याद पड़ा कि हमारा गौत्र क्या है, कौन सा गौत्र है । इसी तरह आपने रूल की बात की । लेकिन कल से डिबेट चल रही है और जिसके मन में जो आता है वह कह देता है, रूल कहां है? (**व्यवधान**)...आप लोग तो मंत्री है । आप लोग बार बार उठते और बैठते है । यह तो स्कूली लड़कों का काम है । आप लोगो ने क्या कसूर किया है जो उठते बैठते है ।

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I levelled no charge against Dipen Ghosh or any other Member.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please finish now.

SHRI N. K. P. SALVE: I may be allowed to make my point. I have not spoken for more than five minutes. You will find me absolutely brief and cooperating with you.

Not for a moment did I level any charges against them I said they did not, as a fact refute any of the allegations and that they have not done so for very valid reasons. For very valid reasons they have not refuted the allegations. As a fact it remains there. The Home Minister here would be guilty of the grossest irresponsibility if there was absolutely no basis for what he was talking about. If what he was talking about is based on credible, prima facie, evidence, then certainly he will be explaining why he did say so It can at least be not called false, not called irresponsible. It can at best be said, without going into the veracity of the matter you have made such a statement. But that is not the allegation. In this connection yes-

[Shri N. K. P. Salve]

terday he referred to certain excerpts from a newspaper. Here I want to refer to....

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: On a point of order. As you have rightly pointed out, Madam Deputy Chairman, please do not go back on your ruling, the subject-matter is the newspaper cutting which I referred to. That is the subject-matter. Now he cannot bring any more newspaper cuttings in support of or to repudiate this thing. That is one thing. The second thing is this Let me complete.

Another point, Madam, is that the Home Minister is getting up repeatedly and telling that you are taking the newspaper reports as gospel truth and he has not yet made up his mind whether to deny or confirm it. We are yet to hear from him. On what basis does Mr. Salve try to justify what is in the mind of the Home Minister? It is for the Home Minister; it is not for Mr. Salve. Till now the Minister has not indicated anything If the Minister gets up and says, 'yes, I have made all the allegations', that would be a different thing. But he is not telling. . (*Interruptions*)

SHRI A. G KULKARNI. I did not bring this subject here. All the rubbish is going on there. And he is repenting. He can withdraw and go out.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr Salve.

SHRI N K P. SALVE· Not for a moment do I say that what is reported in the paper is gospel truth Infact, he considers that as gospel truth. So far as I am concerned, I am on a very important and crucial question· what is the credible, *primma facie,* evidence on the basis of which certain allegations are made? If he has not made allegations, it is for him to say. At the moment we are debating on the bas's of this report for what it is worth. As I said, so far as N T Rama Rao is concerned, I am really shocked that such incredible things should have been said about him. But what is worse for him — and I say it very sincerely — is that it is the bunch of lawyers who seem to be after him and the not-too-wise mebers of his party who are causing his downfall. Now, look at this; His lawyer says in a court of law... (*Interruptions*)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: The matter is *sub judice.* Is it allowed?

AN HON. MEMBER: He cannot refer to this document. (*Interruptions*)

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, the young lawyer is not a member of my party. He is one who went to Andhra Pradesh High Court to defend Defendant No. 1, Mr. N. T. Rama Rao. Now, if that too I cannot refer to, Madam, this debate will be meaningless (*Interruptions*) It will be utterly meaningless if we cannot refer to the views of the lawyer. Unfortunately, the views of his lawyer.... (*Interruptions*)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: How is it relevant?

SHRI N. K. P. SALVE: Implicitly his condemnation is much worse than the condemnation of the Home Minister. If that is so, then I will say that the Home Minister, whatever it may be, can never be guilty of what they are accusing him to be Madam, what happened -- I am referring to what he stated in the High Court, the lawer... (*Interruptions*)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You have to give your ruling. He canot read this thing. He is enlarging the scope of the debate. Then we will have to bring so many other things.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am referring to 'India Today'. ..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you referring to something on which already a judgment has been given or is it *sub judice*?

SHRI N. K P. SALVE: Judgment given. I am not referring to any allegation. I am referring to what the lawyer stated in the Andhra Pradesh High Court. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: You cannot refer to that.

SHRI PARVATHANEN UPENDRA: He cannot . (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: It is a public document.

THE DEPUTY CHAIRMAN: According to Rule 238, which has just now been pointed out by Mr. Dipen Ghosh, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending Therefore, I will request the Member that he should not refer to any decision which is pending, but where already a judgment is given... *(Interruptions)*

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am....

SHRI DIPEN GHOSH: Have you satisfied yourself that the document from which he is reading is a document relating to a case which has since been finalised? Are you satisfied yourself?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have directed the Member to refer only to a judgment which is given, and not which is pending. And he is going to do that.

SHRI N. K. P. SALVE: I am referring to that part of the proceedings in the High Court as reported in India Today at page 41 of November about what happened in the court of law. It is a matter which has been decided.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Madam, I will give him this.

SHRI N. K. P. SALVE: If you are going to do this any more, not one of you will be allowed to speak by my party. I have not used a single disparaging sentence. Not a word have I said against Mr. N T Rama Rao. I am dealing with a subject-matter or a matter which has already been decided in a court of law. It it reported here.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You take this. You quote from here.

SHRI N. K. P. SALVE: I am not quoting from the judgment.

SHRI BUTA SINGH: This is not decent.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request the hon. Members to come back to their senses. Please behave yourself. Don't to this thing. Don't throw papers on others. I request all the Members. Please behave yourself.

SHRI N. K. P. SALVE: At one stage, Justice Anjaneyulu drew Palkhivala's attention to a significant point made by the petitioner's lawyer.

SHRI V. GOPALSAMY: It should not be allowed.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You should ask him where he is reading from.

SHRI N. K. P. SALVE: I am reading from 'India Today' of November, page 41.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: How is it relevant? How does 'India Today' come into the picture? There are hundreds of magazines which have written about N. T. Rama Rao and about Rajiv Gandhi.

SHRI N.K P. SALVE: It deals directly with the allegation of corruption which is admitted by Mr. N.T. Rama Rao himself.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHN (Andhra Pradesh): He has claimed that he is quoting from the judgment.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Madam, on a point of order. My point of order is this. The whole controversy is being raised on this question whether any reference can be made to the conduct of the gentleman involved and on whom the hon. Home Minister is alleged to have made certain imputations. The hon. Member who made this Special Mention said at the close of it that if the report in the newspaper is correct, the hon. Home Minister should not have said this. I respectfully submit that this raises one fundamental question. If the case of the hon. Member is this that even if these allegations are true, even then the Home Minister should not have made these allegations, then it is different. I can understand that the conduct of Mr. Rama Rao may not be discussed before this hon. House. But

[Shri Madan Bhatia]

if it is the case of Mr. Upendra that these allegations which have been made by the hon. Home Minister against Mr. N. T. Rama Rao are incorrect then this hon. House is seized of the matter whether the allegations which have been made against Mr. N T. Ramarao are correct or they are not correct. And this is a subject matter of debate and is liable to be discussed.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Madam, on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch and we will meet again at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty two minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERN .MENT BUSINESS FOR THE WEEK. COMMENCING THE 7TH DECEMBER, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing, 7th December, 1987, will consist of:—

(1) Consideration and passing of:—

(a) The Administrative Tribunals- (Amendment) Bill, 1987.

(b) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1987.

(2) Consideration and return of:—

(a) The Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(b) The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(c) The Appropriation (No. 5) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(d) The Finance (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(3) Consideration and passing of the Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(4) Discussion on:—

(a) 35th and 36th Reports of the Union Public Service Commission.

(b) National Water Policy.

(5) Further consideration and passing of the Prevention of Corruption Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

(6) Consideration and passing of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Amendment Bill, 1987, as passed by Lok Sabha.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Is the session going to be extended? Is there any such possiblity, looking at the Business for the next week?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra). Sir, once the Business is announced

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Today is non-Government Business day. We will not take up any other business at present, up to 5 O'clock.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): For your information, the Minister has informed some business which was not discussed in the Business Advisory Committee. Medical Council Bill was not there. I am raising it because I have to inform my Members..

SHRI M. M. JACOB: I have not said about Appropriation Bill because that is yet to be passed by the Lok Sabha. In

case that comes, it can be adjusted. Some of the items which I have read out are already listed. So, some item can be taken out; there is no problem.

SHRI ALADI ARUA *alia* V. ARUNANAACHALAM: But I have to inform my Members. That is why I am particular.

SHRI M. M. JACOB: Appropriation Bill has not yet been announced here because it must be sent from the Lok Sabha.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): According to the Order Paper, the discussion on a matter raised with the permission of the Chair was taken up after the Question Hour. Now there is Private Members' Business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): From 2.30 p.m. to 5 p.m. Private Members' Business will go on.

SHRI N. K. P. SALVE: But in regard to this, there is no mention in the order paper. Are we going to continue this discussion, after 5 p.m. because it cannot be finished today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI: That we shall see afterwards.

SHRI N. K. P. SALVE: Why afterwards? We have to make our programme accordingly. This discussion cannot be concluded today and we cannot sit up to 10 or 11 in the night.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We can have the discussion for some time after 5 p.m. and if the House agrees....

SHRI N. K. P. SALVE: You can take the sense of the House right now.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आज तो प्राइवेट मेम्बर्स डे है, आप इसको पांच बजे के बाद उठाएं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मान्यवर, आप इस बात को समझ लीजिए, अगर पांच बजे यह चीज लाएंगे तो हमको अपना प्रोग्राम उसी अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि सदन चाहता नहीं है कि यह आज हो।

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, no other discussion should take place now except the Private Members' Business.

SHRI N. K. P. SALVE: I entirely agree with you. This is what I am also saying. We should immediately get on with the Private Members' Business and at 5 p.m. we should conclude the Private Members' Business and adjourns.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Private Members' Business will go on up to 5 p.m.

SHRI N. K P. SALVE Then the House should be adjourned because there is no Business thereafter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That we shall see.

SHRI N. K. P. SALVE: Why are you reluctant to disclose what is the Business of the House?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Private Member' Business will be up to 5 p.m. Then we can sit up to 6 p.m. for this discussion and after that we shall take the sense of the House. (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Sir, there is no mention in the Agenda that this is to be continued after 5 p.m. It has not been listed.

SHRI N. K. P. SALVE: What prevents you from taking the sense of the House right now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI· No. We shall take the sense of the House after the Private Members' Business is over.

SHRI N.K.P. SALVE: That means we have to keep hanging till 5 p.m.?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE, V

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir, I want to make a submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH DESAI): Please sit down. I am not going to allow any other things. Now, Bill to be introduced.

THE SATI PREVENTION BILL, 1987..

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of practice and glorification of sati and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. BAPU KALDATE: I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) Bill, 1987 (Insertion of new article 17A etc.) ... .

SHR MURLI DHAR CHANDRA-KANT BHANDARE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

KANT BHANDARE: I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF MISUSE OF RELIGION AND RELIGIOUS INSTITUTIONS BILL, 1987

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of misuse of religion and religious institutions, and for that purpose to provide for effective control of properties and places of worship of all religions, certain disqualifications in the Representation of the People Act, 1951 and for matters connected therewith and incidential thereto.

The question was put and the motion was adopted

SHRI MURLIDHAR CHANDRA-KANT BHANDARE: I introduce the Bill.

THE NATIONAL HONOUR AND INTEGRITY (PROTECTION) BILL, 1987

श्री शिव कुमार मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राष्ट्रीय गौरव और अखंडता के संरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण "राष्ट्रीय गौरव और अखण्डता (संरक्षण) विधेयक" को यहां प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मै आपका आभार प्रकट करता हूं । सबसे पहले कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को यहां लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाल ही मे अनेक लोगों द्वारा अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीयगान का, संविधान का अपमान किया गया । ये हमारी अमूल्य निधि है और इसकी हर कीमत पर रक्षा करना हमारा दायित्व है । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जाय । इसके लिए एक विधेयक स्वीकार किया जाये और उन लोगों को जोकि इस प्रकार के राष्ट्र-विरोधी कार्य कर रहे हैं, उन्हें दण्डित किया जाय । पेश्तर इसके कि मैं और कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक महान देश है। इसमें भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-2 संप्रदाय, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले रहते हैं। सदियों से रह रहे हैं और आपस में सांप्रदायिक सद्भाव उनमें बना रहा है। एक दूसरे के साथ भाईचारे का बर्ताव करते रहे है। हमारे संतों ने हमारे महापुरूषों ने, हमारे बुजर्गों ने बराबर यही हमको संदेश दिया है, चाहे वे कबीर हों, गुरुनानक हों, तुलसी हों सभी ने इसी संस्कृति और इसी गंगा-जननी तहजीब को पेश किया है जिसका कि विश्व में कोई सानी नहीं है। परन्तु अंग्रेजों ने हमारे देश में फूट डालो और राज करो कि नीति अपनाई । अंग्रेजी दासता से मुक्ति पाने के लिए

हमारे स्वततंत्रता सेनानियों ने सन् 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारम्भ किया था । यद्यपि अंग्रेजों ने हमारे इस प्रयास को विफल कर दिया था, लेकिन हमारे पुराने महापुरूषों ने, देशभक्तो ने--लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाब विपनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय जैसे स्वतंत्र योद्धाओ ने इस देश में फिर अंग्रेजी दासता मे छुटकारा पाने के लिए जनता को संगठित किया और बडी-दड़ी कुर्बानी दी । महात्मा गाधी ने अपना असहयोग आदोलन शुरू किया । उस जमाने में सांप्रदायिक सद्भाव बहुत था । यह आज की बात नही है । यह हमेशा से रही है । हमने देखा है । वह दिन भी था जब जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए स्वामी श्रद्धानद जी को आमत्रित किया गया था और दिल्ली मे अखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन की स्वागत समिति की अध्यक्षता के लिए हकीम अजमल खा को आमंत्रित किया गया था । गाय का बिल्ला उनके सीने पर लगा हुआ था । हमने हमेशा इसी तरीके से हमारे यहा हिन्दू मुस्लिम, सिख सभी ने भाईचारे के रूप में शामिल होकर आजादी की लड़ाई लड़ी । हम लोगों ने गाने गाए थे, "सिख, हिन्दू, मुसलमान एक रहें, भाषा-भाषा में रशमोरिवाज रहे, गुरु ग्रंथ, पुराण, कुरान रहे, मेरी संध्या पूजा नमाज रहे !" लेकिन जैसा कि मैने अभी कहा अग्रेजो ने फूट डालो, राज करोवाली नीति को अपनाया ।जब मुगल हमारे यहां आए तो वे फारसी लेकर आए और उस सबने कबूल किया । अग्रेज आए, अंग्रेजी लेकर और अंग्रेजी को सबने कबूल किया । न फारसी का कोई विरोध हुआ और अंग्रेजी का लेकिन मैं यह जाना चाहता हूं कि आज हिन्दी का इतना विरोध क्यो है ? इस देश मे 80 करोड जनता की एक तो सपर्क भाषा रहेगी ? हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने बार-बार इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि अंग्रेजो जब तक लोग चाहेगे, सूबों मे रहेगी और हिन्दी किसी के ऊपर थोपी नही जाएगी । लेकिन मैं जाना चाहता हूं कि क्या अनंतकाल तक हम लोग अंग्रेजी को बनाए रखेगे ? क्या हमारी कोई संपर्क भाषा होगी ? मैं चाहूंगा कि हमारी जो 14 भाषाएं हैं, उनमें से भी अगर कोई संपर्क भाषा का स्थान ले सकती है तो उस बात को देखा जाए । लेकिन आज हम देखते है कि कही राष्ट्रीय झंडे जलाए जाते हैं, कही हमारे राष्ट्र-गान का बहिष्कार किया जाता है ।

कही हमारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया जाता हैं और इस संबंध में मैं तमिलनाडु की सरकार की सराहना करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया और जिन लोगों ने ऐसा किया उन को दंडित किया । मैं अधिक न कह कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस को स्वीकार करना चाहिए और सभी दलों के लोगों से और सरकार से मैं इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस बिल को जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है और आज की स्थिति में बहुत आवश्यक हैं, स्वीकार किया जाय । इस में जो प्रावधान हैं उन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे राष्ट्र-विरोधी कार्यो में मे जो लोग लिप्त है उन को कठोर दंड दिया जाय । इस की व्यवस्था होनी चाहिए । तमिलनाडु की सरकार ने जो उदाहरण पेश किया है ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए और ऐसा हमारी सरकार को भी करना चाहिए । हम कब तक इस के लिये आंखे मुंद कर देखते रहेंग और अगर इस प्रकार की चश्मापोशी की गयी और कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति बहुत नाजुक हो जायगी और विघटनकारी शक्तियों और अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को शते करता हूं ।

The Question was proposed.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मिश्र जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आप हिन्दी में बोल रहे हैं इस का मैं स्वागत करता हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जिस ढंग से मिश्र जी ने इस विधेयक पर जो अपने विचार इस सदन मे प्रकट किये वह सभी लोगो को मान्य है और मैं नही समझता कि हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति इस विचार से अलग होगा । सारे भारत के लोग किसी हिस्से मे भी क्यों न हो, दिल्ली मे हो या उत्तर प्रदेश मे हों, बिहार मे हो या आध्र प्रदेश में हों, तमिलनाडु मे हो या केरल मे हो या काश्मीर या नागालैंड में हो, वहां के रहने वाले सभी भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं, और वे सब हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की आजादी कायम रखना चाहते है । आप जानते है कि कई सालों तक हिन्दुस्तान दुसरों के अधीन रहा । यहा अंग्रेजो का राज रहा । बाहर से कई जातियों का आक्रमण हुआ इस देश पर और यहां के लोगों ने काफी मुसीबते सही । लेकिन एक समय आया जब हिन्दुस्तान के लोगों मे जागृति पैदा हुई और उन्होंने यह फैसला किया कि हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना है, आजाद बनाना है । इस मे कितने ही लोगों ने, भले ही वे किसी पार्टी के हों या न हों, बहुत से लोगों ने इस आजादी के आंदोलन मे हिस्सा लिया और महात्मा गांधी की रहनुमाई में, उन के नेतृत्व मे कितने ही लोग जेल गये, कितने ही लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कुर्बानियां दी और उन्होने कभी नही सोचा कि आगे जा कर उन को मंत्री बनना है या पार्लियामेंट का सदस्य बनना है या किसी असेम्बली का सदस्य बनना है । उन के सामने एक ही ध्येय था—भारत की आजादी । इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों की गयी ? यह इस लिये कि हिन्दुस्तान में जो गरीब है, जो परेशन है, उस का उद्धार हो । हिन्दुस्तान के लोग अपना सिर ऊंचा उठा कर आगे जायें और जो मुसीबतें है इस देश के अदर, वे दूर हों । क्योंकि जो विदेशी आक्रमण हुए और अंग्रेजों के राज के दौरान जो यहां के लोगों की आर्थिक लूट हुई, यहां के गरीब और अनपढ़ लोगो को जो सताया गया उस सब का नतीजा हुआ कि आज भी हम इस में फंसे हुए हैं । अभी प्रस्ताव के मूवर ने बतलाया है कि अंग्रेजो की यह नीति रही की फूट डालो और हूकुमत करो । वही बात अब भी जारी है कि किसी न किसी रुप में । इसे खत्म करना है । आज सदन में कहना पड़ता है कि आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 40 साल हो गये लेकिन सदन में जब कार्यवाही चलती है तो वह भारत की किसी भाषा में नही चलती । शर्म के मारे हमारा सिर झुक जाता है । जो कार्यवाही है वह तो हिन्दुस्तान की किसी भाषा में नही सुनाई जाती है, अंग्रेजी में सुनाई जाती है । इसको हमको खत्म करना हैं । इसकी तरफ संजीदगी से हमें सोचना है । सरकार को भी सोचना है और लोगों को भी सोचना है । यह सही है कि कुछ प्रान्तों में इससे दिक्कतें आएंगी, वहां पर हिन्दी मे काम करने मे कठिनाई होगी । लेकिन वे तमिल मे, तेलुगु मे, मलयालम में, काश्मीरी में अपना कामकर सकते है । किसी भी भारतीय भाषा मे यह किया जा सकता है लेकिन कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिये इस तरह से धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की भाषाएं उस स्तर पर पहुंच जाएंगी कि हम अपनी भाषाओं मे काम कर सकते है ।

महोदय कुछ लोगों का तर्क यह है कि जो टैक्नोलोजी के शब्द हैं या साइंस के शब्द है, वे हमारी भाषाओं मे नही है, तो भाषा के शब्दो को हम उसी रूप में अपनाएं, लेकिन अपनी भाषा में उनका प्रयोग करें, चीन, जापान, रूस आदि देशों ने क्या अपनी भाषाओं के माध्यम से तरक्की नही की है ?उन देशों ने काफी तरक्की की है । अमरीका के बराबर वे पहुच गये है । जापान हर तरह से आगे बढ़ा हुआ है इंडस्ट्रीज वगैरह में । इसी तरह से चीन भी, उसका कारोबार अपनी भाषा मे होता है । तो यह हमको सोचना है कि हमारा राष्ट्रीय गौरव और हमारी प्रतिष्ठा कैसी बनी रहेगी । यह सरकार को ही नही सोचना है । लोगों को भी सोचना है । इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही नही है, लोगो पर भी इसकी जिम्मेदारी है । हिन्दुस्तान के सभी लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां यह जिम्मेदारी सरकार

की है और लोगों की है, वहां यह जिम्मेदारी संस्थाओं की भी है। हाल के ही कुछ वर्षों की एक घटना मुझे याद है। मैंने पढ़ा और मुझे यह जानकारी प्राप्त करके बड़ा रंज हुआ कि कुछ साल पहले हमारे देश में कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ। उस समारोह में कालिदास जयन्ती में विदेशों के भी कई प्रतिनिधिमंडल आए और रूस का भी एक प्रतिनिधिमंडल आया। उसका कालिदास समारोह में जब रूस का प्रतिनिधिमंडल उज्जैन पहुंचा तो उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कालिदास समारोह के जो कार्यकर्ता थे, सम्मेलन को चलाने वाले थे, उन्होंने कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में शुरू की। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने फौरन खड़े होकर कहा कि इतनी दूर से, रूस से भारत और यहां भी उज्जैन में अंग्रेजी में कालिदास को सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम कालिदास की जुबान में सुनने के लिए आए हैं, हम कालिदास की भाषा में सुनना चाहते हैं। यह हमारे लिए कितनी सर्म की बात है? रूस वाले बोले कि आप अपनी भाषा में काम करो, संस्कृत में बोलो या भारत की किसी भाषा में। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि राष्ट्रीय गौरव तब बढ़ेगा जब हम अपनी भाषाओं में, अपनी संस्कृति को, अपनी चीज को आगे बढ़ाये और उसके गौरव को बढ़ाये। नहीं तो क्या गौरव हमको मिल सकता है?

अभी मिश्र जी ने चीन का उदाहरण दिया यह गलत बात है। हमारी विचारधारा कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे को समझने में, बहस में, बातचीत से यह तय की जा सकती है। यहां प्रजातंत्र है। इसमें रट घसौट या हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गलत रास्ते से व्यवस्था को चलाने का या बदलने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। यह स्पष्ट बात यहां पर है। मैं यह मानता हूं कि संविधान की जो प्रतियां है वह हर भाषा में हों। हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना गया है, इसे आप लिंक भाषा कहें या कुछ भी कहें लेकिन संविधान में इसे राष्ट्र भाषा माना गया है। इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, चाहे तेलुगु हो, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ हो, बंगला हो, कश्मीरी हो, इन सभी भाषाओं का मान, सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिए, सभी भाषाओं की तरक्की होनी चाहिए। हमारे संविधान का अनुवाद हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में होना चाहिए। यह एक बड़ा देश है, यहां पर करोड़ों लोग है और यहां पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और वे अपनी भाषा में अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं। संविधान की कापियां न सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध हो बल्कि देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध रहनी चाहिएं।

दूसरी बात यह है कि गौरव बढ़ाना हमारे हाथ में है, हमारी सरकार के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। सरकार कोई काम अपने हाथ में लेती है तो बड़े बेहूदा ढंग से अपना काम शुरू करती है। यह बड़े अफसोस की बात है। सरकार को सोचना चाहिए। सत्ता में कोई भी पार्टी आ सकती है। आज आप बैठे हैं कल दूसरी पार्टी आ सकती है, फिर तीसरी आ सकती है। प्रजातंत्र में यही होता है। जो भी पार्टी सत्ता में हो, केन्द्र में हो या राज्य में हो, उसका यह काम है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं उनको समझे और उनका समाधान करे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यह बिल मेरे सामने है, पता नहीं यह अनुवाद अंग्रेजी से है या मूल हिन्दी में ही है। अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद है या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवद किया गया है

श्री मोर्जा ईर्शादबेग (गुजरात) अंग्रेजी से ही होता है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मेरा कहना यह है, मैं पहले भी कह चुका हूं इस सदन में जब भी किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो-चाहे वह अंग्रेजी से हिन्दी में हो या हिन्दी से अंग्रेजी में हो या किसी और हिन्दुस्तान की भाषा में हो जो अनुवाद करने वाली कमेटी है या व्यक्ति है, मुझे नहीं मालूम कौन है, चाहे इस बिल का अनुवाद हो या दूसरी किताबों का अनुवाद हो या कंस्टीट्यूशन का अनुवाद हो, मेरा कहना

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

यह है कि वे अनुवाद करने वाले सिर्फ अंग्रेजी भाषा के केवल जानने वाले न हों, हिन्दी भाषा के केवल जानने वाले न हों, बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी रखने वाले हों ताकि वह यह समझ सकें कि दूसरी भाषाओं मे इस शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है। सिर्फ एक ही किस्म का अनुवाद होता है। यहां मैं हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। बोल सकता हू, लिख सकता हूं। मैं किसी स्कूल या कालिज में हिन्दी नही पढ़ा हू। मैंने घर मे ही हिन्दी सीखी है। मैंने स्वयं कोशिश करके हिन्दी का अभ्यास किया है, परीक्षाए दी है, पास की हैं। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा आरम्भ की उस समय एक छोटा सा लड़का था। पढ़ रहा था। किसी स्कूल में तो हिन्दी पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं था लेकिन मैंने खुद इस भाषा को सीखने का प्रयास किया और सीखा और परीक्षाए दी। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुवाद की कमेटिया है उनमे दूसरी भाषाओं के जानने वाले लोग भी होने चाहिएं। ताकि उन शब्दों का प्रयोग जब वे अनुवाद करें तो कर सकें। यह जो हमारे पास हिन्दी की प्रति है, इस विधेयक की प्रति है, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उनसे भी इसके बारे मे पूछें तो वे कहेंगे, यह हमारी समझ मे नही आती है। मैं यहां पर देखता हूं कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी है वे भी अंग्रेजी की प्रति मागते है। मैंने उनसे पूछा कि आप अंग्रेजो की प्रति क्यों मांगते है तो वे कहते है कि यह हिन्दी हमारी समझ मे नही आती है। जब वह हिन्दी उनकी समझ मे नही आती है जिनकी मातृभाषा हिन्दी है तो आप स्थिति को समझ सकते है।

3.00 P.M.

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे देश मे जो भी काम हो वह हमारे देश के गौरव, प्रतिष्ठा और अखण्डता को किसी भी सूरत मे धक्का न पहुचाये। वह इस देश के गौरव, प्रतिष्ठा और अखण्डता की हिफाजत करे। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। सन् 1942 के आन्दोलन के दिनों में मैं विद्यार्थी था, आठवी क्लास का विद्यार्थी था। जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं को क्विट इंडिया मूवमेन्ट के दौरान गिरफ्तार किया तो हमारे दिलों मे भी जोश पैदा हुआ। हमारे दिलों में भी अंग्रेजो के खिलाफ भावनाए पैदा हुई। हमने आवाज उठाई। कई। लोगों ने कालेज छोड़ दिये, जेलों में गये। हमारे देश के कई लोगो ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। वे अपना नाम बता भी नही चाहते थे। कई किसानों और मजदूरों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसलिए इस देश के गौरव, इस देश की एकता, अखण्डता को बनाये रखना सब की जिम्मेवारी है सब का फर्ज है। जो प्रस्ताव आज सदन में रखा गया है, इसके पीछे देश की एकता और अखण्डता की जो भावना है, देश के गौरव की जिस भावना से यह यहा पर रखा गया है, इसका मैं सम्पूर्ण रूप से अनुमोदन करता हूं। मुझे नही मालूम कि सरकार किस सूरत मे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी लेकिन इसके पीछे जो भावनाए है, उनका पालन होना चाहिए। उन भावनाओं का सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, सब की तरफ से पालन होना चाहिए।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री शिव कुमार मिश्र सदन में जो यह प्रस्ताव लाये हैं, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हू। आज हिन्दुस्तान की आजादी को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वह भारत की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को है। मुल्क की एकता और अखण्डता को बचाना ही आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साम्राज्यवादियों की साजिश के कारण एशिया के मुल्को का बंटवारा हुआ। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, चीन, फार्मूसा आदि देशो के रूप में साम्राज्यवादि ने एशियाई देशों के टुकड़-टुकड़े कर दिये। चालीस वर्षो की आजादी के बाद भी इस मुल्क की भाषा अंग्रेजी है। जाहिर है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को भारी खतरा बना हुआ है। जब तक

अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तान मे कायम है, तब तक भारत की अखण्डता को खतरा बना रहेगा। लार्ड मैकाले ने जिसने अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी, उसने जो बात कही थी उसको हर हिन्दुस्तानी को याद रखना चाहिए --

"We must do our best to form a class, which may be interpreter between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood, but English in taste and intellect."

अगर हिन्दुस्तानियों को सदैव गुलाम बनाकर रखना है तो उनकी भाषा को बदल दो, उनकी भाषा अंग्रेजी बना दो। आजादी के चालीस वर्षो के बाद भी हिन्दुस्तान के अन्दर भारत की संसद अंग्रेजी में चल रही है। दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए लोग यह देखकर पार्लियामेंट को छोड़कर चले जाते है क्योंकि वह हमारे ससद सदस्यो की भाषा को नही समझते है। मैं बी. सत्यनारायण रेड्डी जी को भारत माता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने आंध्र प्रदेश के होते हुए भी यहां पर राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा में अपना भाषण दिया। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भाषा का सवाल आजादी से जुड़ा हुआ है। जिस मुल्क की हुकूमत मुल्क की भाषा मातृ भाषा में नही चलेगी वह देश अपनी आजादी नहीं बचा सकता है। मुझे संसद में तेरह साल हो गये। यहां पर दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आये और यहां के सेन्ट्रल हाल में उन्होंने जो भाषण दिये, चाहे वह एशिया का हो, अफ्रीका हो, अमेरिका का हो, इग्लैंड का हो, चाहे 5 लाख की आबादी वाले देश का हो, 10 लाख की आबादी वाले देश का हो, 1 करोड़ की आबादी वाले देश का हो, वहा के राष्ट्रपतियों और प्रधानमत्रियों ने अपनी मातृ भाषा में भाषण दिया। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की हुकूमत मेरे हाथ में आती है तो मै कलम की एक नोक से मात भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा बनाऊगा। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : राजीव गांधी हमेशा अंग्रेजी में ही बोलते है। ..(व्यवधान) ..

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इतना अच्छा भाषण हो रहा है और आप इस तरह बीच में बोल रहे है।

श्री राम अवधेश सिंह : यह शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कमी भी अपनी मात भाषा मे नहीं बोलते है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठिये। आप जब बिल पर बोले... (व्यवधान) ..

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को, जिसमे हिन्दुस्तान के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व था, दिल्ली चलो और जय हिन्द का नारा दिया तो उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 'कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा, जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाई जा। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बगाली थे और बंगला उनकी मातृभाषा थी। गांधी जी गुजराती थे, गुजराती उनकी मातृ-भाषा थी। राजगोपालाचारी ने गांधी जी के नेतृत्व मे दक्षिण भारत में हिन्दी के लिये आन्दोलन किया और कन्याकुमारी से काश्मीर तक तथा असम से लेकर गुजरात तक भाषा का आन्दोलन चला। गांधी जी ने कहा था कि जिस मुल्क की अपनी भाषा ही नही होगी वह मुल्क अपनी आजादी कैसे बचा सकता है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मुल्क में हिन्दुओं की हुकूमत थी तो उस समय राजकाज की भाषा संस्कृत थी और जनता की भाषा पाली, अपभ्रंश पाली और हिन्दी थी। उस समय संस्कृत जानने वाले कुछ मुठ्ठीभर लोग हिन्दू राजे-रजवाड़ों की हुकूमत चला रहे थे। जनता की बोली अलग और राजा की बोली अलग। इसी-लिये हिन्दू राजाओ को बुरी तरह से विदेशी हमलावरों के सामने पराजय का मुंह देखना पड़ा और इस देश में विदेशियों की हुकूमत कायम हुई। जब इस मुल्क में मुगलों की हुकूमत कायम हुई तो राजकाल

[श्री कल्पनाथ राय]

की भाषा फारसी बनी जब कि जनता की भाषा हिन्दी उर्दू, पंजाबी, बंगाली थी। मुगलई हुकूमत जब हिन्दुस्तान में आई उसने राजकाल की बोली फारसी बनाई जब कि जनता की बोली दूसरी थी। राजकाज की बोली, उनके जमाने में अलग रही और जनता की बोली अलग रही। इसी कारण बहादुर शाह जफर को, जो कि दिल्ली का बादशाह था, अंग्रेजो से मुकाबला करने पर गहरी पराजय का मुह देखना पडा। उसके बाद अंग्रेजी की हुकूमत इस देश में कायम हो गई। जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश मे कायम हुई तो उन्होंने राजकाज की भाषा को अंग्रेजी बनाया। कुछ मुट्ठीभर अंग्रेजी बोलने वाले लोगो ने, एक कलेक्टर और एक एस० पी० एक जिले मे होता था, जो मुट्ठीभर अंग्रेजी जानने वाले इन लोगों ने इस देश पर शासन किया। गांधी जी ने इस बात को समझ लिया था कि अगर इस मुल्क में लोक शाही को कायम करना है तो लोक भाषा लोक भोजन और लोक भवन के माध्यम से इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ना होगा। उसी तरह हमारे राष्ट्र के कवि श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा कि :—

"निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को मूल।"

बिना निजी भाषा के हम तरक्की नही कर सकते, विकास नहीं कर सकते। हमारे भारत का संविधान बन ने वाले मनीषियो ने जो संविधान बनाया उस संविधान के अन्तर्गत हमारे देश का संविधान बनाने वालों ने कहा कि —

WE , THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, धारा 343 मे आफिशियल लैंग्वेज के विषय में लिखा है —

The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. (2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devnagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law.

धारा 344 में लिखा है कि—

(1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission (2) It shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to -

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes or the Union;

(e) any other matter referrtd to the Commission by the Pesident as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interest of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional represent ation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, धारा 345 में लिखा है —

Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legslature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान को बनाने वाली सभा ने यह कसम खाई धारा 343, 344 और 345 के माध्यम से कि 1950 से संविधान बनने के 15 साल तक भारत की लैंग्वेज अंग्रेजी रहगी और धीरे-धीरे अंग्रेजी का इस्तेमाल खत्म करते हुए, 1965 तक आते आते हिन्दी उसकी जगह ले लेगी। यह इन धाराओं का मतलब है। 1965 के बाद भारत की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिन्दी को होना चाहिए, मातृभाषा को, मैं हिन्दी नहीं कहता हूं, मातृभाषा को होना चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : राज भाषा।

श्री कल्पनाथ राय : हां राज भाषा। लेकिन 1987 के बाद भी हम अपने मुल्क की मातृभाषा को राजभाषा नहीं बना सके है। यह एक बुनियादी प्रश्न है जिसके ऊपर भारत की पूरी संसद को विचार करना करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, शर्म और लज्जा तब आती है जब हिन्दी भाषा भाषी इलाके के लोग यहां पर अंग्रेजी बोलते है। तकलीफ तभी होती है। अगर हिन्दी भाषा भाषी इलाको के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात आदि जितने हिन्दी भाषी इलाके के एम पी अपनी मातृभाषा में बोले तो जो हिन्दी हीं जानते हैं वे हिन्दी सीखेगे लेकिन जब हम ही अंग्रेजी बोलते है तो वे क्यो हिंदी सीखेगे ... (**व्यवधान**) या, बुनियादी सवाल है। भारत की आजादी भारत की एकता, भारत की अखंडता को अगर खतरा है, आज सबसे बड़ा खतरा है तो इससे है। आज हिन्दुस्तान के सामने केवल रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या नही है आज भारत की एकता को सबसे बडा खतरा अगर है तो इसलिए है कि हम आज तक अपने मुल्क की भाषा नहीं बना सके। आज मुल्क मे सम्प्रदाय धर्म के मजहब के झगड़े खड़े किये जा रहे है मै आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कभी भी हिन्दू और मुसलमान के बीच में लडाई नही रही, लड़ाई देशी और परदेशी के बीच रही। विदेशियो ने हिन्दुस्तान पर

[श्री कल्पनाथ राय]

हमला किया और देशियो ने उसका मुकाबला किया। मगर हिन्दुस्तान में सम्प्रदायिकता, फंडामेंटलिज्म आदि ताकते हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख और ईसाइयों, के, धर्म, मजहब और जाति के झगड़े उभारकर हिन्दुस्तान तोड़ना चाहती है। सन् 1526 में मुहम्मद बिन कासिम ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और देशियो ने उसका मुकाबला किया। विदेशी गजनी ने हमला किया और पूरे हिन्दुस्तान ने उसका मुकाबला किया (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उनको शांति से बोलने दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : सन् 1526 से बाबर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया। इब्राहीम लोदी की हुकूमत हिन्दुस्तान में थी, उसने और राणा सांगा की सेना ने विदेशी हमलावरो का मुकाबला किया, मगर नयी टेक्नालाजी से, नये हथियारो से सुसज्जित बाबर की सेना ने जो तोपखाने के साथ थी हिन्दुस्तान पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त की। नादिरशाह ने, विदेशी ने हमला किया और देशियों को काटा, कत्ल किया। तैमूर लंग ने हमला किया और हिन्दू मुसलमानो का कत्ल किया तो हिन्दुस्तान में देशी और परदेशी के बीच लड़ाई रही है कभी हिन्दू और मुसलमानो में लड़ाई नही रही है।

सन् 1857 में जफर के नेतत्व मे हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकटठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जब जफर को गिरफ्तार करके जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया तो अंग्रेज कमाडर इन चीफ और उसकी मौत करने वाले हिन्दुस्तानी ने कहा :

"हमदमो मे दम नही है,
खैर मागो जान की,
ऐ जफर बस हो चुकी है
शमशीरे हिन्दुस्तान की
ए जफर तुम क्या लड़ोगे
तुम हार चुके हो रण प्रागण में,
तुम हिन्दुस्तानी मुकाबला नही कर सकते इन अंग्रेजो का।"

तो जफर ने जो जवाब दिया वह हम हिन्दुस्तानियों को याद रखना चाहिए :

"गाजियो मे बू रहेगी जब तलक ईमान की
हम हिन्दुस्तानियो मे बू रहेगी जब तलक ईमान
की ख्त लन: तक रहेगी त ग हिन्दुस्तान
की जब तक हम हिन्दुस्तानी ईमानदार में,
देशभक्त है जब तक हम राष्ट्रभक्त हैं
जब तक मुल्क के लिए मरना-मिटना
जानते हैं तब तक हिन्दुस्तान का बाल
भी बांका कोई नहीं कर सकता है।
हम हिन्दुस्तानी गुलाम इसलिए हो रहे
हैं कि हम बेईमान हो गये हैं हम चोर
है ठग है राष्ट्रद्रोही हो चुके है इसलिए
1857 में हम गुलाम हो गये—यह कहा
ज़फर ने।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली के अंतिम बादशाह ज़फर ने जब लड़ाई के मैदान में पानी मागा पीने के लिए, तो अंग्रेजों ने उसके चार बैटों की गर्दन काट कर उसके सामने रख दी और कहा "गद्दार, अपने बेटो का खून पिओ"। उस ज़फर को मांडले की जेल में, बर्मा की जेल मे डाल दिया और ज़फर जब मरने लगा, तो मरने से पहले उसने वाइसराय को चिट्ठी लिखी कि ए दिल्ली के अंतिम वाइसराय हम माडले जेल में मरने वाले है, हम मर जाएं, तो हमारा जनाजा दिल्ली मे दफनाया जाए।

मगर हिन्दुस्तान के वाइसराय ने कहा कि नही जफर को यह परमिशन नहीं मिलेगी कि मरने के बाद उसका जनाजा दिल्ली में दफनाया जाए। तो उस समय ज़फर ने एक गीत लिखा उस जेल में-

"लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
किसकी बनी र आलमे न पायदार में,
है कितना बदनसीब ज़फर दफन के लिए,
दो गज जमीन भी न मिली कूए यार में।"

हिन्दुस्तान के अंतिम बादशाह ने अंग्रेजी साम्रज्यवाद के खिलाफ लडते हुए अपना दम तोड़ दिया और दम तोड़ने से पहले हिन्दुस्तानियों से कह गया —

"न समझोगे तो मिट जाओगे हिदुस्तां वालों,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।"

आज मैं वही बात विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता तुम्हें प्यारी नहीं है, तो हिन्दुस्तान की आजादी खतरे मे पड़ जाएगी ... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : चोर लोगों से, कमीशनखोर लोगों से देश नही बचेगा।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये। यह देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) मेहरबानी करके ... (व्यवधान)

You are not ready to hear him. How can you challenge him?

श्री राम अवधेश सिंह : जो कमीशनखोर और चोर हैं, वह देश को बचायेगे। .... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इनकी बात मे कितना दर्द है। .... (व्यवधान) उनको सुनिये। .... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : कल्पनाथ राय, आप अपने भाषण से बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे है अपने देश से ... (व्यवधान) अपने शब्दों को वापिस लो ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद खलील-उर-रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जो उन्होंने फरमाया वह ठीक है ...(व्यवधान) लेकिन जो आपोजीशन के खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : असल में देशभक्त हम हैं, तुम नही हो। आपने देश को तोड़ा है वास्तव में ... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : इन्होंने जो कहा कि प्रतिपक्ष के लोग जो काम कर रहे है, उससे देश की अखंडता और एकता को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कमीशनखोर लोग है, देश का पैसा बाहर भेजते है उन लोगों से देश को खतरा है ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has expressed his view; you may differ from him. You can have you say when you get yuor chance.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: But he has no right to accuse Opposition parties.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हू ... (व्यवधान)

SHRI RAM AWADHESH SINGH: It is not a question of differing. Do you allow anybody to abuse the whole Opposition?

मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये।

There is no point of order. I will not all on it. This is my ruling. you can differ from him. There is no point of order. I will not allow it.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: First listen to me and then give your ruling.

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) मैंने कहा है कि यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। ..(व्यवधान)

श्री मीर्जा इर्शादबेग : यह अव्यवस्था का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) मैंने सुन ली है। मैंने बताया ना कि यह: व्यवस्था का प्रश्न नही है।
You may differ from him.

श्री राम अवधेश सिंह : नही, अगर आप गाली देने की इजाजत देगे, तो हम लोग भी गाली देंगे। यह बात आप सुन लीजिए ..

[श्री राम अवधेश सिंह]

He has no right to accuse the Opposition parties. It is not question of differing.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भारत की एकता और अखंडता को भारी खतरा है। साम्राज्यवादियों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया और एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा को किया। हैदरअली के बेटे टीपू सुलतान की पराजय क्यों हुई ? क्योंकि अंग्रेजों ने उसके प्रधानमंत्री को तोड़ लिया था। इसलिए प्लासी के युद्ध में हम हारे और इसीलिए 1857 मे हम हार गए क्योंकि अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने हमारे ही देश वासियों को तोड़ करके उनको एक-दूसरे के खिलाफ किया और हिन्दुस्तान पर हकूमत की। उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में सी० आई० ए० की ताकतें हिन्दस्तान को तोड़ने में लगी हैं क्योंकि हिन्दस्तान एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रो के बीच एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है क्योंकि इसी मुल्क में 40 वर्ष से प्रजातंत्र का दीया जल रहा है और गुट निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में दुनिया के मंच पर विश्व शांति का सदेश लेकर उभर रहा है। आप माने या न माने आज दुनिया में राजीव गांधी को एजल आफ पीस कहा जा रहा है और उसे अमरीका और रूस दोनों शांति का दूत मान रहे हैं। अब या तो दुनिया को ये एटामिक हथियार मिटा देंगे वरना दुनिया से एटामिक हथियारो को मिटाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से एटामिक हथियारों को हटाना पड़ेगा वरना ये दुनिया को ही मिटा देंगे। इसके लिए विश्व शांति का काम जो कर रहे है, जो सुपर पावरज मे मेल कराने का काम कर रहे है उन गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व श्री राजीव गांधी कर रहे हैं। इसको दुनिया मान रही है और आप चाहे माने या न माने। दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों ने एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया और लड़ाकर भारत की आजादी को खत्म किया, हिन्दुस्तान पर कब्जा किया तथा 1947 में जाते-जाते अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का बंटवारा करके हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना दिए। 40 वर्ष के दौरे में पाच बार हिन्दुस्तान पर पाकिस्तान से हमला कराया। और हिन्दुस्तान मे जाति-धर्म और मजहब के झगड़े उभारकर देश को तोड़ने की कोशिश की और आज फिर उन्ही साम्राज्यवादियो की सब से बड़ी कोशिश हिन्दुस्तान को तोड़ने की है, सी० आई० ए० की पूरी ताकत लगी है, उससे आप सावधान रहिए। आज हम लोगों का राज है, हम सत्ता में हैं कल नहीं रहेंगे। एक बार हम सत्ता में थे फिर हम हार गए और आपको सत्ता मिली थी। आज हम सत्ता में है, हो सकता है कि कल आप सत्ता में आ जाएं लेकिन इस राष्ट्र की एकता को और अखंडता को हमें प्राथमिकता देनी होगी तभी हम भारत की इंटेगरिटी की रक्षा कर सकते है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1976 मे श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के सविधान मे एक संशोधन करना पड़ा है। क्या संशोधन करना पड़ा कि,

"It shall be the duty of every citizen of India—

(a) to abide by the Constitution and respec. it ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and tender ntaional service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement."

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1976 में विश्व की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के संविधान में यह संशोधन करना पड़ा। इसी संसद में किया। यह किया कि हिन्दुस्तान के नागरिकों के क्या दायित्व है। जब देश में एनारकी का वातावरण बन रहा था, जब देश की पटरियां उखाड़ने की बातें की जा रही थी, जब फोज को बगावत करने का भाषण दे रहे थे, पुलिस रिवोल्ट करने की बात हो रही थी, जब बसों और ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, जब देश के प्रधान मंत्री के घर पर घेराव किया जा रहा था तो उस समय हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हिन्दुस्तान में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। और हमारे भारत के संविधान में यह संशोधन करना पड़ा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्र की आजादी को सबसे बड़ा खतरा है, हिन्दुस्तान के अन्दर की और बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह जैसे लाखों लोगों की कुर्बानियों से हमें आजादी मिली है, हमारे मुल्क के अन्दर शहीदों का खून बहा है और उस खून से आजादी का यह पौधा पैदा हुआ है, आइए, हम सब मिलकर उस आजादी की रक्षा करने के लिए, उस जनतंत्र के पौधे को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करें और भारत की आजादी की लड़ाई के अतीत को सामने रखकर भविष्य के सुहावने दिनों का निर्माण करें ताकि आने वाले भारत की संताने सुखी हो सकें।

इन्ही शब्दों के साथ श्री शिव कुमार मिश्र के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मिश्र जो ने जो विधेयक लाया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए भी करता हूं कि देश के गौरव और अखण्डता के बारे मे मैं जहां तक मानता हूं और इस देश को समझता हूं, वहां तक किसी के मन में संदेह नहीं है।

[उपसभाध्यक्ष] श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि कभी-कभी विकृत मनोवृत्तियां हम लोगों को चिंतित करती हैं, लेकिन जहां तक इस देश का जनमानस है, इस देश के नागरिक हैं, उन सबके दिल में राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्र की अखण्डता के प्रति पूरी निष्ठा है, इस बात को हम मानते हैं। हम सब लोगों को यही मानकर आगे चलना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के संदर्भ में मैं थोड़ा पीछे जाकर कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं क्योंकि एक नौजवान की हैसियत से हम आजादी की जंग में एक सैनिक के रूप में उस समय काम करते थे। उस समय गौरव का कोई प्रेरणा-स्रोत था, आपको याद होगा, आपने जिस झण्डे की बात की है, हमने की है.. (व्यवधान)

श्री नोर्जा ईशाविवेग : आप तो आज भी बूढ़े नहीं लग रहे...

डा० बापू कालदाते : मैं तो मानता नहीं हूं, लेकिन उम्र बढ़ रही है, क्या करें। आपको याद होगा, सन् 1924 में जब इस देश में पहला झंडा-सत्याग्रह हुआ, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं था, कांग्रेस की जो विकास की प्रक्रिया चलती रही, उसमें हमारे गौरव की एक शान, हमारे गौरव का प्रतिष्ठा का लक्षण हो, जो इस देश के नौजवानों में नई राष्ट्र भक्ति पैदा करे, इसके लिए कांग्रेस ने काफी दिन तक सोचकर एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। इससे बढ़िया बात यह है कि इस देश में नागपुर में जो सन् 1924 में पहला झण्ड-सत्याग्रह हुआ, उसकी पहली सत्याग्रही महिला न हिन्दू थी, न मुसलमान थी, वह मादाम कामा थी, जो कि पारसी महिला थी। इस देश की आजादी का सारा इतिहास इस देश के सारे धर्म, मजहब, जातियों के लोगों के त्याग का इतिहास है। कोई एक परिवार के त्याग से यह देश आजाद नहीं बना, न किसी एक सख्सियत से बना यह देश आजाद बना सब मजहबों सब धर्मों के लोगों, गरीब लोगों के त्याग और उनकी समर्थता से। इसके लिए मैं आपसे कहूं कि यह राष्ट्रध्वज था, जिसके लिए लोगों ने अपनी आत्म-आहूति दी।

महोदय, मुझे याद है कि सन् 1942 के आंदोलन में जब मैं था, तब महाराष्ट्र में सिरिश कुमार नाम का 14 साल महाराष्ट्र के धूले जिले का था। क्यों मर गया ? इसलिए, कि उसके हाथ में यह तिरंगा झंडा था, वह एक जुलूस निकलकर चल रहा था कि आजादी की जंग शुरू हो गयी है, स्कूल नहीं चलेगा। आज स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि पेपर कठिन निकलते हैं या फिर सिनेमा के टिकिट की दर बढ़ जाती है। लेकिन वह जमाना था कि आजादी की प्रेरणा हमारे जीवन में घुस गई थी कि बगैर आजादी के हम जिंदा नहीं रह सकते और इसी से प्रेरित होकर यह सिरिश कुमार बाहर निकला। अंग्रेजों के उस जमाने की जो पुलिस थी, उसमें हिन्दुस्तानी ही काम करते थे, लेकिन आदेश अंग्रेजों का मानते थे। तो अंग्रेजों के आदेशों पर उन्होंने उस बालक से कहा—इस झण्डे को निकाल दो, इसे फेंक दो। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा—मैं जान दे दूंगा, लेकिन यह झण्डा नहीं दूंगा। यह बात है बड़े बहादुर लड़के की, वह मर गया, लेकिन उसने झण्डा नहीं छोड़ा, दूसरे के कंधे पर दे दिया। सातवीं क्लास का लड़का पिटता रहा, लेकिन यह झंडे का जो सम्मान है, गौरव है उसके लिए उसने माफी नहीं मांगी और न भागकर गया। इस देश के गौरव के लिए इस देश के कई नौजवान लड़कों ने खुद का बलिदान दिया है। यह झंडा राष्ट्र को इकट्ठा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह रहा है। यह झंडा इस देश के सम्मान का, इस देश के गौरव का, देश की प्रतिष्ठा का, देश के प्रेरणा-स्रोत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निशान है। इसे अंतिम रूप से संविधान द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमने तय किया। अगर कोई भी इसका असम्मान करे, इसके गौरव को धक्का दे तो यह निहायत जरूरी है कि ऐसे असम्मान करने वाले शक्ति को जितना भी दंडित किया जा सकता है, किया जाय। ऐसी व्यवस्था के लिए इस विधेयक द्वारा मिश्रा जी ने सुझाव दिया है।

अब इस देश के राष्ट्रगीत की क्या स्थिति है। हम सभी जानते हैं कि यह राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र जी की कादंबरी से पैदा हुआ है। 'आनंद मठ' जिसमें कि वंदे मातरम् का गीत था और यह गीत इस देश में एक मंत्र बन गया था। आज सिनेमा के कई गीत चलते हैं—दिल के टुकड़े कई हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। लेकिन वंदे मातरम् हमारी भावनाओं का, आजादी की जंग का मंत्र बन गया था। जो भी उस समय वंदे मातरम् कहता था वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला सिपहसालार था। इस भावना से लोग इस गीत को गाते थे।

मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा वे आज भी जिंदा है। बहुत बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता है। भले ही हमारी उनसे सिद्धांतो की लड़ाई हो सकती है, सियासती मतभेद हो सकते है। लेकिन जिन लोगो ने आजादी की जंग में अपने को न्योछावर किया, उन सब का हम आदर करते हैं। ये बुजुर्ग श्री तुलसी दास जी जाधव लोक सभा के सदस्य रहे। वे शोलापुर मे आते है। मुझे याद है सन् 1932 में शोलपुर मे मार्शल ला लगा। उसमें 4 व्यक्ति मारे गए। हम बचपन में सभी गाते थे—"धन शेट्टी, शिदे सारडा, कुर्बान हुसनी।" कुर्बान करदो जान हिंदुस्तान को अपनी। धन शेट्टी लिंगायत थे, मराठा सारडा थे मारवाडी और कुर्बान हुसैनी थे मुसलमान, जो मार्शल लॉ मे मारे गए। आज किसी मजहब को यह अहंकार करने की आवश्यकता नही कि मेरे मजहब के कारण देश आजाद हो गया। देश आजाद होगा भगत सिंह के कारण, जलियावाले बाग के लोगों से, चोरीचोरा से, नमक के सत्याग्रह से, बिनोबा जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। यह आजाद होगा दांडी की यात्रा से। यह राष्ट्रगीत था वंदे मातरम् और हम बड़े गौरव और शक्ति के साथ कहते थे वंदे मातरम्। यह तुलसीदास जाधव उस समय कांग्रेस कमेटी शोलापुर के अध्यक्ष थे। ये जब मार्शल लॉ मे घूमने लगे तो इनको गिरफ्तार किया गया और कह गया कि आप वंदे मातरम् मत कहिए। आपके सिर पर जो गांधी टोपी है इसको निकाल जाएगी लेकिन टोपी नही उतरेगी। जान जाएगी लेकिन वंदे मातरम् का नारा कहना नही छोडेगे। तो यह राष्ट्र-गीत, राष्ट्र-ध्वज इस देश को इकट्ठा बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। काश्मीर से लेकर तमिलनाडु मे कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रगीत चलता था और यह मंत्र देश को इकट्ठा बनाने में कामयाब हुआ। देश मे एक नयी भावना पैदा करने मे कामयाब हुआ और इसी भावना के कारण जिस साम्राज्य में कभी सूरज नही डूबता था, इतना अहंकारी साम्राज्य रह गया कि कभी-कभी उस पर सूरज उगता है। इन भावनाओ को हमें बड़ी संजीदगी, बड़े सम्मान और बडी गभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है ऐसा मै मानता हू। अब रह गयी भाषा की बात। इसमें इस का जिक्र नही है। राष्ट्र भाषा के संबंध मे इस विधेयक मे कोई विशेष जिक्र नही है लेकिन मैं यह जरूर कहता हू कि जमाना बहुत बदल गया है और हम बहुत गहरे, नीचे से नीचे गिर रहे है। हमारे जीवन के सारे स्तर चाहे वे सयासी हो, प्रोफेशनल हो, व्यावसायिक हो या अन्य कामो से संबंधित हो, उन सब मे हमारा स्तर गिरता रहा है। एक जमाना था, जैसा कि सत्यनारायण जी ने कहा कि हिन्दी भले ही हमारी भाषा नही होती थी लेकिन राष्ट्रभाषा की हैसियत से हम ने उस को सीखने का और समझने का हमेशा प्रयास किया था। भले ही वह हमारी भाषा नहीं थी लेकिन हम मानते थे कि इस देश को एक भाषा की आवश्यकता है और तभी देश इकट्ठा हो सकेगा। राष्ट्र-भाषा भी हमारे देश की अखंडता मे एक बहुत हथियार बनेगी जो गांधी जी के कारण इस देश को मिली थी। गांधी जी इतने कुशल थे कि उन के जैसा दूरदर्शी मैं ने आज तक दुनिया में दूसरा देखा ही नही और ऐसा कहना कोई अहंकार की बात नही होगी। मैं कितने ही दार्शनिको को जानता हू जिन के बारे मे मेरे मन मे काफी आदर है, लेकिन तो भी मैं मानता हू कि दुनिया के आज तक के इतिहास मे और खास कर हमारे इतिहास मे दुनिया को नयी दिशा देने वाले, दुनिया को देख आज तक। जहा तक को एक नयी दार्शनिक दृष्टि देने वाले एक नई राह दिखाने वाले गांधी जी के अलावा और कोई दार्शनिक मैं ने गांधी जी को और जिन अन्य दार्शनिको को जानता हूं वहा तक मैं कहता हूं। यह राष्ट्र भाषा गौरव की भाषा रही है। आज हमारे यहा क्या चल रहा है। आज पब्लिक स्कूल्स खोले जा रहे है और इंग्लिश मीडियम से द्वारा बच्चों को पढाया जा रहा है। यह कम नहीं हो रहा है, यह बढ़ रहा है और अगर मैं कहू—कल्पनाथ राय जी मुझे माफ

[डा० बापू कालदाते]

करेंगे कि इस में सरकार का भी दोष है कि शिक्षा को जिस ढंग से लागू करना 1950 में संविधान का आप ने जिक्र किया कि जिस को सब लोगों ने मिल कर पारित किया था कि 15 साल के अंदर हम इस को कर लेंगे। हम नहीं कर पाये। अन्य कारणों को मैं जानता हूं जिन के कारण यह सब नहीं हो पाया लेकिन सरकार का दोष स्पष्ट है। राष्ट्र भाषा के साथ साथ जो अन्य राज्यों की भाषाएं हैं उन को भी अगर हम समर्थ बनाते जाते तो जिन को हिन्दी नहीं आती उन के मन में जो यह कमजोरी की भावना है कि हम तो हिन्दी नहीं जानते और अगर सारा कारोबार हिन्दी में चलेगा तो हमारा स्थान क्या रहेगा, यह न होती और अगर उन को लगता कि हमारी भाषायें समर्थ है, मणिपुरी है, तमिल है, मलयालम है, कांफरेंस आफ तमिल लैंग्वेज हाल ही में मलेशिया में हुई। दुनिया के सारे तमिल के विद्वान वहां इकट्ठा हुए थे। सभी भाषाओं के साथ ऐसा हो सकता है, भले ही वह कन्नड़ हो या कोई और। आप की साहित्य अकादमी या नेशनल बुक ट्रस्ट वाले कुछ पुस्तकों का भाषान्तर करते होंगे लेकिन सुब्रमणियम भारती को महाराष्ट्र वाले उन की पुस्तकों के भाषान्तर के कारण नहीं उन की भावनाओं के कारण जानते हैं। भाषान्तर का, तर्जुमा करने का प्रयास तो चल रहा है लेकिन भाषान्तर में यदि भावना नहीं आती तो वह स्थिति कायम नहीं रह पाती और केवल शब्द मात्र रह जाते है। शब्द के पीछे भावना होती है। शब्द तभी समर्थ होता है जब उस में भावना मिली होती है। शब्द का सामर्थ्य तभी पूरा होता है जब उस में विचारों का परिपोष होता है और विचारों का परिपोष भावना को समर्थ बनाता है। देश में नया सामर्थ्य और भावना पैदा कर सके यह काम हम ने एक वन्दे मातरम् शब्द से देश भर में कर पाया था। मैं इस के लिये आप को धन्यवाद करता हूं कि हम जैसे लोग जिन्होंने कुछ साल तक, चन्द साल तक ऐसे महान और महत्तम लोगों के साथ काम किया, उन के आशीर्वाद से उन की प्रेरणा से हमें यह सौभाग्य हुआ कि उन लोगों के साथ चन्द दिन रह सकें उन की सेवा करने के लिये। जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग पूना में हुई तो उस समय महात्मा गांधी छूट कर पूना आये थे। उस समय मैं राष्ट्र सेवा दल का एक सदस्य था। अब्दुल कलाम आजाद, पंत जी और जवाहर लाल जी जैसे महान नेता वहां थे और उन के अगल-बगल वहां का और रहने का हम को अवसर घूमने मिलता था। उनके विचार, उनके शब्दों से एक ही कदम पीछे रहते थे। गांधी जी के बारे में यह लिखा गया है—गांधी जी की गरिमा के बारे में अमरीकी रे लेखक ने यह लिखा है—

THE greatest of Gandhiji does not lie in what he wears, or something like that; greatest of Gandhiji lies in the fact that his action is only one step behind his thoughts.

आज यह बात चल रही है, भाषा पर बहस यहां चल रही है। अखंडता की बात चल रही है, राष्ट्र-भक्ति की बात चल रही है। लेकिन जिस ढंग से आचरण हम करते हैं, क्या वह राष्ट्र-भक्ति का है? वह न तो देश की अखंडता का है, न देश का सम्मान बनाने का है। इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से अगर मैं इस सदन से यह अपील करूं, यह दरख्वास्त करूं यह प्रार्थना करूं कि हमें उसी भावना को जाग्रत रखना है तो मैं आपको कुछ कहूं, आपके ऊपर कुछ उछाल दूं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें आत्म-निरीक्षण करना होगा। हमें देखना होगा कि क्या इस देश का गौरव, इस देश की राष्ट्र-भक्ति, इस देश का राष्ट्र-ध्वज क्या केवल कपड़ा है, उस पर लगे रंग क्या केवल रंग हैं, या उनसे जुड़ी भावनाएं हैं? कपड़ा जब तक थान में है कपड़ा है, लेकिन जब वह रंग जाता है तो वह तिरंगा हो जाता है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। वह हमारी भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। इसी तरह से बंदे मातरम् शब्द में का अपने आप कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारी भावना

है। हमारे जीवन से वह बाते उठ चुकी हैं। हम बड़े बडे शब्दों का उच्चारण करते है लेकिन उनमें आचारों का कोई तालमेल नही है। जब तक आचार और विचारो का तालमेल नही होगा, तब तक आप कितना भी कहिए, देश की अखंडता की प्रक्रिया कठिन होती जाएगी।

मैंने कभी-कभी यह कहा है कि मैं आज 1987 को 1947 से ज्यादा खतरनाक साल मानता हू। 1947 मे हमारे सिफ दो टुकड़े हुए थे। हमारे मन के विरुद्ध बात थी वह। मुझे याद है कि गांधी जी उस सम्मेलन में उपस्थित थे जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं उस समय स्वयसेवक था। जब काग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया तो श्रीमती अरुणा आसफ अली जो समाजवादी दल में काम करती थी, उन्होने भावनात्मक भाषण किया। गांधी जी से उन्होने कहा कि आपने तो कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे शरीर के ऊपर से ही हो सकता है, मैं विभाजन नही होने दूगा, तो आप आज क्यो नही बोल रहे है? गाधी जी ने कुछ नही कहा, लेकिन अरुणा आसफ अली की पीट थपथपाई और कहा कि हा यह हो रहा है। लेकिन उस समय देश के दो टुकडे हुए थे, आज हमको देश के 50 डुकडे होने का भय दिखाई दे रहा है। गलती किसकी है, उस पर मैं बहस नही करना चाहता। मेरी आदत नहीं है कि विषय को छोड़कर मैं कही कही जाकर दूसरो पर कीचड़ उछालू। लेकिन जब समय आएगा तो गलती की भी बात करूंगा। वास्तविकता यह है कि दो टुकड़े तो हो चुके है और कितने टुकड़े बनने चले है, बनने वाले है, इसकी गहरी चिन्ता हम लोगों को आज हो रही है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि यह न होने पाए। ऐसा न होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसका क्या उपाय हो सकता है, इसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। केवल कहने से भावना पैदा नहीं होती। विकास के प्रयास में दोष किसका है, हमारे सियासती दलो का है, इन सब दोषो को कब मिटाया जाएगा, मुझे मालूम नही है। लेकिन जो हम जनता के नुमाइंदे है, यहा सदन के सारे लोग भी गभीरता से इन चीजों को ले और जो भी उनको दुरुस्त करने के लिए जरूरी हो, भले ही वे सरकारी पक्ष के हो या विरोधी दलो के, इसका एक प्लेटफार्म हम बनाएं जिसके द्वारा ऐसे मसलो को एक साथ बैठकर हल कर सके, ऐसी हवा देश मे बन जाए तो मैं समझता हू कि देश की अखंडता को क्षति पहुंचाने वालों का हम मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बुरी बात मुझ जैसे कार्यकर्ताओ को जो आज लगती है वह यह है कि देश की सैंसेटिविटी सबेदनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जो पुराने, बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि चोरीचोरा का काड यू पी में हुआ था जिसके बारे मे गांधी जी के खिलाफ हम शिकायत करते थे, यह अलग बात है लेकिन यह कांड सिर्फ चोरीचोरा तक सीमित नही रहा सार देश मे फैल गया। जलियांवाला काहै जो हुआ वह सिर्फ वही तक सीमित नहीं रहा वह भी सारे देश मे फैल गया। एक जगह के बलिदान ने सारे देश को जगाया। एक संवेदनशील राष्ट्र में ऐसा होता है कि कहीं किसी एक जगह पर अन्याय हो तो सारा देश खड़ा हो जाता है। कही किसी एक जगह पर खतरा हो जाता तो सारा देश सजग हो सकता। कही किसी एक जगह पर कुछ हुआ कि सारा देश उसके लिए भागता था। 1905 मे बंगाल के विभाजन का एलान अंग्रेजो ने किया। सिर्फ बंगाल खड़ा नही हुआ, लोक मान्य तिलक महाराष्ट्र से उठकर आए और बंगाल के विभाजन के खिलाफ सारे राष्ट्र मे एक अभियान उस समय चलाया गया। बंगाल को धक्का लगा तो महाराष्ट्र जाग्रत होता है। जलियाबाला बाग मे कत्ल होते है तो सारा देश उठ कर खड़ा होता है अंग्रेजों के खिलाफ। यह संवेदनशीलता है आज हम खो बैठे हैं। हमारी संवेनशीलता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लोग मारे जा रहे हैं, श्रीलंका में लोग मारे जा रहे हैं। वे बेचारे

[डा० बापू कालदाते]

तमलिनाडु के लोग है। वहां लगता है बहुत लोग मारे जा रहे है। जैसे-जैसे हम ऊपर के इलाके में जाते है, दूर जाते है तो लगता है बहुत कुछ नही। पजाब के लोग मारे जाते है। पजाब के अगल-बगल के इलाको मे तो कुछ असर दिखाई देता है। लेकिन और दूसरे राज्य के लोग यह सोचने लगे है कि यह तो रोज ही चल रहा है। अगर राष्ट्र की संवेदनशीलता ही खत्म हो जायेगी तो अखडता साम्भाव्य नही है। यह बात मैं कह सकता हूं—नेशनल सटीविटी मस्ट बी देयर। यह बात मैं कह रहा हूं कि जिस दिन राष्ट्र की संवेदनशीलता घटती जायेगी उस दिन हमारी अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा।

मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करिये। मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि जरूर इस बारे में सोचिए। पारित करिये या न करिये लेकिन उनकी भावनाओं को समझ लीजिए। मैं यह मानता हूं कि यह जो घटती हुई सवेदनशीलता है, इसमे जो गिरावट आ रही है इसको रोकना होगा। जो विकासशील देश है उनका सबसे बडा क्रॉस यह है कि वह लोगों की आकांक्षाओं को समझे। आर्थिक दृष्टि से उनको समझे। मैं इसे कहता हू इनफलेशन आफ एक्सेप्टेशंस। जसे इनफलेशन आफ मनी हो जाता है तो रुपये में गिरावट आ जाती है वैसे ही हमारी आकांक्षाओं में इनफलेशन आयेगा तो वास्तव और आकांक्षाएं मेल नहीं खायेगी। और जब वास्तव और आकांक्षाएं मेल नही खाती तो लोग एक्स्ट्रीमिज्म की तरफ जा कर कुछ करना चाहते है। जो कुछ नही कर पाते वे निराश होकर बैठ जाते हैं और जो बचे होते है वे किसी न किसी ढंग से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहते है। मैं यह कहता हूं कि तीनों पंक्तिया डेविएशंस है। इनको कम करना होगा। सही आकांक्षाओं को सही व्यवस्था के रूप में ढालना होगा तभी सही संवेदनशीलत प्रकट होगी। सही राष्ट्र प्रेरणा, राष्ट्र भक्ति हम को जगानी होगी। देश को बचाने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, इन भावनाओं को फिर से जागृत करने के लिए मेरा सुझाव है कि हम लोग इस दृष्टि से देखें और यह प्रतिक्षा करे कि हम लोगो ने जिन उसूलों को लेकर इस देश को एक बनाने का प्रयास किया था, जिन बुनियादी सिद्धातों को लेकर हमने आजादी की लडाई लडी थी, कदम-कदम पर हम यह समझे कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है, यह राष्ट्र की देन है इस राष्ट्र की देन को सिर्फ कायम न करे बल्कि इस राष्ट्र की देन को मजबूत करने का प्रयास भी हम सब मिलजुल कर करे, इस भावना के साथ मैं इस विधेयक का तहे दिल स समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

ठाकुर जगतपाल सिह (मध्य प्रदेश) : नेशन काज के लिए जो यह खड हैं तो पूरा नेशन इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब सेल्फ इंट्रेस्ट आ जाता है तो नेशन साथ नही देता। लोग मारे जायेंगे।

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी आपने वर्तमान बापू के विचार सुने। मैं अपने वर्तमान बापू को आश्वास्त करना चाहता हूं। यह विधेयक हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह विधेयक स्वत. इस बात का द्योतक है कि हम इन विषयों में सवेदनशील हैं परन्तु प्रश्न विधेयक का है, प्रश्न मूलत: भाषा, इतिहास और राजनीति का इस वक्त नहीं है। मुझ थोडा इस बात का दुःख है कि चर्चा विधेयक पर बिलकुल नही हुई है, अधिकतर विषयान्तर ही होता रहा है। मैं एक बात जरूर विषयान्तर करके कहना चाहता हूं। यहा पर प्रश्न मातृभाषा का उठाया गया। मुझे बड़ा दुःख है कि इस देश में रहने वाले अपनी मादभाषा नही जानते हैं। मातृभाषा वह हुआ करती है जो बच्चा अपनी मां से अपनी मां की गोद में बैठकर सुनता है। मेरी मां मुझ से भोजपुरी में बात करती थी। यह बडी सरस और मधुर भाषा है। अपनी मां से

का महत्व है। लेकिन हमने आज इन बातों को खो दिया है। हमारे जैसे लोगों के लिए यह दुख की बात लगती मैंने जो भाषा सुनी वह भोजपुरी थी। भोजपुरी के माध्यम से मैंने अपनी मांग को समझने का प्रयास किया। तत्पश्चात मैंने समाज को समझने का प्रयास किया और वह भी मैंने अपनी मां की भाषा के माध्यम से किया। जब हमारा शरीर कुछ बड़ा हुआ और हम अपने पैरों पर खड़े हुए तो स्कूल में पहुंचे तो। वहां मुझे जो भाषा पढ़ने और सुनने को मिली उसको उस वक्त खड़ी बोली का नाम दिया जाता था और उसी को बाद में हिन्दी कहा जाने लगा। मगर इस देश की एक दूसरी भाषा भी हमने अपने स्कूल में पढ़ी जिसको उस जमाने में दीगर जबान कहा जाता था, जिसको उर्दू कहते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल से चलकर न्यायालय में पहुंचे तो मेरे कानून के गुरू जो एक मुसलमान थे, उन्होंने मुझे अर्जी दावा दाखिल करना सिखाया। उस वक्त हम वाद-पत्र नहीं कहते थे। उस वक्त हम मद्दई मुश्तदाई अर्जी जैसे कहते थे। "निम्नांकित वाद-पत्र प्रस्तुत करते हैं" बाद में आया। इसलिए मैं अपने मित्रों को सावधान करना चाहता हूं कि वे अपनी मातृभाषा को न भूलें। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम उसका आदर करते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं और भारत की जो 15 राष्ट्र-भाषाएं हैं, हम उन सब की प्रतिष्ठा करते हैं। किन्तु हमें इतनी जल्दी अपनी मातृभाषा भोजपुरी को भी नहीं भूलना चाहिए। जो भूलते हैं वे अपनी मातृभाषा के प्रति दोष के दोषी हैं।

अब प्रश्न इस विधेयक का है। मैं कुछ चीजें विधेयक के संबंध में कहना चाहता हूं। मिश्र जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने विधेयक हिन्दी में प्रस्तुत किया। राष्ट्रभाषा में प्रस्तुतिकरण को हम संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दे चुके हैं। किन्तु कानूनी विषय है, को इस प्रकार त्रुटियां हैं उनकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वे इसमें सुधार करेंगे। सर्वप्रथम मैं उनका ध्यान धारा 8 की उपधारा धारा 3 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार उन कारणों में जो लेखबद्ध किये जाएंगे, इसमें लेखबद्ध नहीं है, एक मौलिक, सैद्धान्तिक सवाल की ओर विधेयक प्रस्तुतकर्ता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि धारा 3 में उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस व्यक्ति की नागरिकता प्रत्यावर्तित कर सकती है, जिसे उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उससे कथित वंकिया जा चुका हैं, किन्तु नागरिकता के न रहने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद ही। चूंकि आपने इस विधेयक में लेखबद्ध नहीं किया है

4.00 PM

अतः आप विधायिका के कार्यक्षेत्र में रहे हैं। इसकी अनुमति आपको कानून नहीं देता है क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भिन्न हैं। इसलिये जो भी आपको लेखबद्ध करना है, जो भी मूलभूत सिद्धांत आप विधेयक के द्वारा लेखबद्ध करना चाहते हैं वह आप कार्यपालिका या सरकार पर नहीं छोड़ सकते। जब आपने सरकार पर छोड़ दिया तो उसको अंग्रेजी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के सिद्धांतों के आधार से वह नष्ट हो जायेगा। इसलिये आपका यह धारा निर्मूल होगी। जो आपने लेखबद्ध किया है वह विवेचित नहीं है। मैं मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि जब आप एक अच्छा विधेयक लाये हैं, एक सारगर्भित विधेयक लाये हैं—राष्ट्र की संवेदनशीलता के लिये एक अच्छा विधेयक लाये हैं, जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें जो कानूनी त्रुटियां हैं उनमें वे सुधार करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मिश्रा जी ने अपने चिन्तन एवं विचार मग्नता का परिचय देते हुये इस विधेयक पर हमें बोलने का अवसर दिया है। मैं इसके दो प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो है भारत का ध्वज और दूसरा संविधान।

जहां तक भारत के ध्वज का प्रश्न है मेरे मित्र ने इस बात का वर्णन किया है उसमें

[श्री वीरभद्र प्रताप सिंह]

हम सभी की भावनाय सन्नद हैं । राष्ट्रीय ध्वज जो चरखा युक्त है वह राष्ट्रीय आंदोलन का ध्वज है और यह हमारे दल का ध्वज है । लेकिन राष्ट्रीय ध्वज चरखा युक्त नही बल्कि इसमें अशोक चक्र बना है । इस विधेयक के जरिये उस चक्र युक्त राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की कल्पना की गई है जो स्वागत योग्य है । एक प्रश्न बार-बार उठाया जाता है और वह भारत के संविधान के सम्बन्ध में है । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा विवेचन आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं । भाषा के प्रश्न को आप लीजियें । हमने पन्द्रह भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी है और हिन्दी को हमने राष्ट्र भाषा घोषित किया है और संविधान का मूल हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों है जो 1950 में पारित हुआ था तो इस पर किस तरह से आक्रोश किया जाता है यह मेरी समझ में नही आता है । क्या इस देश के लोग जो भारत को गणतन्त्र का स्वरूप दिया गया है और गणतन्त्र में विभिन्न राज्यों को सम्बन्ध किया गया है तो क्या वे यह भूल जाते हैं कि यहां का संविधान कैसा है । जब आप यह बहस करते हैं, राज्य और केन्द्र के संबंधों के बारे में विवेचन करते हैं तो क्या आपको मालूम नही कि यहां का संविधान कितना लचीला है । यही एक संविधान है जिसमें कई बार संशोधन किये गये हैं । बार-बार संशोधन करने का तात्पर्य यही है कि संविधान लचीला है । यह संविधान टूटेगा नहीं । न तो संविधान टूटेगा और न संविधान से चलने वाला देश टूटेगा । मैं आशान्वित हूं, मैं निराशा के वशीभूत नही हूं । चाहे ऐसी भावना इधर से व्यक्त की गई हो और चाहे इधर से व्यक्त की गई हो । अगर भारत के संविधान की आत्मा को आप समझ लेंगे तो आप इस निराशा से छूट जायेंगे कि ऐसा होने पर यह देश टूट जायेगा । ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं के सूझबूझ से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से समझबूझकर इसके विभिन्न रूप विभिन्न धर्म, विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न जलवायु सबको ध्यान में रख कर यह लचीला संविधान बनाया है । इसलिये हमको आशा रखनी चाहिये कि यह देश टूटेगा नही । इसीलिये हमने इसमें बार-बार संशोधन करके परिस्थितियों के अनुकूल, देश की विकासशील आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया है । हम गौरवान्वित हैं कि वह हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है किन्तु यह इस बात का द्योतक है कि हमारे संविधान के प्रति कहीं भी किसी प्रकार की मतभिन्नता नही होनी चाहिये और जब जब उसकी स्थानीय विचारों से टकराहट हुई है मैंने उस टकराहट को फौरन दूर किया है संविधान संशोधनों के लिये जरिये और हम उनकी क्षेत्रीय भावनाओं के प्रतिकूल बनें । हमारे जो संविधान निर्माता थे जो विचारशील लोग थे जिसमें हर विचारधारा का प्रतिनिधित्व इस देश का रहा है जब कोई व्यक्ति यह कहता है दोनों तरफ से हम सुनते हैं कि टूट रहे हैं, टूटने वाले हैं या कोई तोड देगा तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भारत के संविधान को नही समझते हैं इसलिये वे लोग बहकी बहकी बात करते हैं बिना उसको समझे चाहे जो कह देते हैं । इसलिये मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा मिश्रा जी ने संविधान के प्रति बहुत आदर की भावना व्यक्त की है इस संशोधन के जरिये वह बहुत ही सराहनीय है । अब मैं उनकी दो तीन चीजों के बारे में अपनी राय देना चाहता हूं । उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण विधेयक के साथ जो है उसमें जो तीन मुख्य है । धारणा तो कानून नही मगर स्पष्टीकरण कानून विरुद्ध हैं । अगर यह स्पष्टीकरण रखे जायेंगे तो यह किसी भी न्यायालय के जरिये समाप्त कर दिये जायेंगे । जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि यह संविधान के अल्टरा-वाइरीज तो न हो मगर यह कानून के अल्टरा-वायरीज हो जायेंगे । इसलिये जब हिन्दी अंग्रेजी में कोई कानून बनावें तो इस बात का ध्यान रखें । इस देश में और बहुत से कानून हैं और कानूनों में जब टकराहट होती है तो वही वह टकराहट संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन तो नही करते हैं या मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना तो नही कर रही है । इसलिये मैं श्री मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम तीन जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिये हैं उनकी तरफ ध्यान दें । उनका संशोधन है धारा 2 का पहला स्पष्टीकरण तीसरा स्पष्टी-

करण, यह अनुचित है, यह चलेगा नही । यह संविधान की धाराओं के उल्लंघन मे आएगा । इस लिये वह टूट जाएगा अदालतें उनको मान्यता नही देगी । इसलिये आप उसको ठीक करने की कोशिश करें । जिन विषयो पर बहुत से कानून हैं मैं यह कह रहा हूं कि जब हम कोई नया कानून बनाते हैं तो हर चीज पर लिखने लगते हैं। हमारे पास भारतीय दंड प्रक्रिय संहिता है उसके बाद अगर उससे काम चल जाए तो क्या यह आवश्यक है कि आप इस में उसी बात की लिख दे । वह चीज चार जगह चार दफा चार कानूनो मे लिखी जाएगी तो किसी भी दिन जब अदालते विवेचन करेंगी तो चारों का समीकरण करने लगेगी तो हो सकता है कि आपका कानून और कमजोर पड़े । इसलिये अदालतें उसको मान्यता नही दें । इसलिये यह भी विधि निर्माण का एक नियम है कि इस तरह से परस्पर विरोधी जो धाराये है या जो समान न्तर धाराये अन्य विधि पुस्तको मे उपलब्ध हैं उसी के समानान्तर या उसी के अनुरूप हैं मेरा पहला यह विचार था कि संविधान का उल्लंघन करने वाली धारा या उपधारा को मत लाइये और जो दूसरे कानून उपलब्ध है भारत के अन्दर उनके समानान्तर भी आप धाराये मत लाइये । इसमे कई धाराये है जो ऐसी है उन पर मैं आपको राय दूंगा इसलिये इस कानून मे कई जगह संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि आपने संविधान की अवहेलना के साथ-साथ समान तर धारायें रखी है और इन धाराओं से विधेयक बनाना उचित नही है । अब आप से तीसरी और सैद्धांतिक अवहेलना कानून की हुई है । जो मूल धारा के उल्लंघन मे आपने सजा दी है उसको उकसाने की सजा भी वही रखी है आपने, यानी मेन जो दंड है वही उकसाने का भी, जो दोषी है तो दोनो को आप एक समान स्तर पर क्यो रखते हैं । न्यायपालिकाये कहेगी कि उतना ही दोष दण्ड करने वाले का है और उतना ही दोष दण्ड उकसाने वाले का होगा । म समझता हूं कि यह नियमत: बाध्यता तो नही है मगर न्यायपालिका की नियम परिधि के अन्दर इसकी विवेचना आवश्यक है कि उकसाने वाला कम दोषी होगा । जब आप यह विधेयक बनाते हो तो इसकी भी आप विवेचना करो । मैंने तीन स्थानों पर पाया कि जो मुख्य नियम तोडने वाले की सजा है वही उकसाने वाले की भी सजा है, इसको समानान्तर मत करो क्योंकि कानून बहुत लम्बा चौड़ा है, जब आप कहते है कि 6 महीने से 7 साल की सजा हो जायेगी तो जज यह कहता है कि हम तो 7 साल की सजा करते है मगर परिस्थिति ऐसी अभिभूत है कि हम 9 महीने की सजा स इनको बरी कर दे रहे है । यह कानून बनाने की एक प्रक्रिया है । अत मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विधेयक अच्छा है, इसमे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा है, ध्वज की रक्षा है और हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है लेकिन मैं बापू कालदाते जी को फिर बताना चाहता हूं कि हम उन्ही संवेदनशीलता के सिद्धातो से प्रभावित होकर कह रहे है कि आप ने जो यह बिल पेश किया है इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मालूम होता है कि कुछ जल्दी मे और जो कानून बनाने के नियम हैं उनका न पालन करके, आपने उसको रख दिया है । किंतु विधेयक की भावना अति उत्तम है, विधेयक के पीछे विचार उत्तम है, विधेयक के पीछे जो हमारी मान्यतायें है, जो हमारा मन्तव्य है वह बहुत ही सुदर है । इन्ही शब्दो के साथ मैं इसका समर्थन करते हुये आशा करता हूं कि आप इसकी नियमगत दशाओं का निवारण करेंगे ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मिश्र जी ने जिस भावना से, जिस विचार से और जिन परिस्थितियो को देखते हुये यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी सामयिकता और उसकी प्रासंगिकता के लहजे में मैं अंतरण से इसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि "जननी जन्मभमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।" यह हमारी जन्मजात मान्यता भी है और इस आधार पर मैं कह सकता हू कि हजारों वर्ष से हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमे तोडा गया, हमें मोडा गया, हमे विनाट करने का प्रयास किय गय, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को हमारी परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गय फिर भी हमने आज तक इनकी रक्षा उक्त सूक्त वाक्य से की है और आगे भी हम करते रहेंगे । जिस भावना से हमारे बापू कालदाते जी ने उस आदोलन को, उस आदोलन में अपने को शरीक करते हुये, उस समय की भावना को

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

आज के सदर्भ मे प्रस्तुत किया है मैं उनका भी आदर करते हुए उन बातों से सहमति व्यक्त करना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष जी, एक सवाल प्रकट कर इस पर विचार करना चाहता हूं कि आज इस विधेयक की प्रासगिकता क्यों है ? मिश्र जी को क्यों आज इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी ? उन्होंने देखा कि देश में कहीं कहीं संविधान के पन्नों को जलाया जाता है । कहीं-कहीं राष्ट्रीय ध्वज को अपमान भी सहना पड़ता है । इसको देखकर निश्चयपूर्वक जो भाव हमारे मित्रों ने प्रकट किये है कि देश के प्रति खतरा है क्या, मैं इतना तो कहना चाहता हूं कि देश की जनता जब-जब 1962 को, 1965 को, आक्रमण होता है विदेशी का, तो एक-एक बच्चा खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर देश के लिये मर-मिटने की तमन्ना प्रकट ही नही करता है, बल्कि उसमे आहुति भी देता है, लेकिन इतिहासकार जो देश के कर्णधार है, उनको इतिहास की सावधानी भी बरतने के लिये कहता है ।

यह देश कभी-कभी अगर टूटता है, तो जब जय चंद, मीर जाफर जैसे देशद्रोही होते है, तब । इसलिये इतिहासकार को इसको नही भुलाना पडेगा कि देश मे त्यागी है, देशभक्त है, लेकिन उसमे कुछ मति भ्रम करने वाले भी हो सकते हैं । हम जानते है कि दो राष्ट्रों का, दो प्रकार की एजेसी सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है—कही उसको सी० आई ए० कहे, कही के० जी० बी० । तो यह अपनी-अपनी ताल से—अगर हम उनके अनुकूल हैं तो ठीक है, प्रतिकूल हैं, तो उस प्रतिकूल को अनुकूल करने के लिये वे षड़यन्त्र रचते रहते है ।

इसीलिये आज इस तरह की आवश्यकता है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हू कि प्रसागिकता क्यों ? अग्रेजों ने आक्रमण करने के लिये पहले प्रवेश नही किया था । यहां व्यापार करने के लिये आये थे और व्यापार करते-करते साम्राज्य स्थापित किया, इन्ही मीर जाफर जैसे लोगो की बदौलत । मुझे क्षमा करें भारत सरकार का सरकारी तन्त्र आज पुन: इस तरह के यहां काम करने जा रहे हैं——बहु——राष्ट्रीय कम्पनियो को हिदुस्तान में आने का मौका दे रहे है । मैं सावधान करना चाहता हूं कि यह बहु–राष्ट्रीय कम्पनिया——आज अर्थतन्त्र का युग है, आर्थिक दृष्टि से हमे यह घेरने का प्रयन्त न करे । अगर देश की सरकार सावधान नही रही, तो मैं समझता हू मल्टीनेशनल कम्पनी हमारे लिये कभी भी खतरा पैदा कर सकती है ।

इसलिये मल्टीनेशनल जयचन्द, मीर जाफर का इतिहास राष्ट्रीय कर्णधारो को नजर हमेशा खुली रखने के लिये, नब्जों पर हाथ रखने लिये बार-बार आकर्षित करता है ।

श्रीमन्, सविधान की बात आई है—आज भी आप ने संविधान मे धारा 370 है । जब राष्ट्र का कोई विधान बनता है, तो उसमे लिखा जाता है कि धारा 370 के हिसाब से जम्मू–कश्मीर को छोड़ कर जो बाहर से आकर के आजादी के काल से ही रह रहे है, वे आज भी धारा 370 का भुगतान हजारों-हजार लोग भुगत रहे हैं । वह देश की लोक सभा के चुनावो मे तो भाग ले सकते है लेकिन वहां की विधान सभा में नहीं । तो इस तरह की अनेक धाराये, हैं, जो इस देश में कभी-कभी बाधक का रूप अख्तियार कर लेती है ।

इसीलिये मैं संविधान में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । संविधान का ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र-भाषा–और किसी भी राष्ट्र का कोई प्रतीक होता है, कोई चिन्ह होता है, कोई पहचान होती है । उस पहचान को स्वतन्त्रतापूर्वक हम कैसे दुनिया मे प्रकट कर सकते है, जब तक कि इसको अपने देश मे ही हम प्रकट न करे सकें ।

इसलिये सविधान को तो हम आवश्यकतानुसार बदलते है, लेकिन कुछ चीजें जो बदलने की नही होती है, उसको भी हम बदलते हैं ।

बंदे मातरम् पर बापू कालदाते जी ने उसके सारे इतिहास को भावमय दृश्य मे रखा । लेकिन मैं अगर सवाल सरकार से पूछू कि वंदे मातरम् ही राष्ट्रगान क्यो नहीं रहा, जिस राष्ट्रगान ने देश को उद्वेलित किया, हरेक ने उसके नाम पर फिदा हो करके त्याग

किया, उसको दूसरे स्तर पर क्यों रखा गया ? मैं कोई राष्ट्रगान जन गण-मन का विरोधी नही हूं, लेकिन जिस भावना का प्रतीक वंदे मातरम है उस भावना का प्रतीक जन-गन-मण नही है और हो भी नही सकता । इसके रचयिता महान है उनका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हू, लेकिन यह तो अपना इतिहास स्वयं बना गया है । इस इतिहास को अगर पुन: आप सावधानी-पूर्वक नही लेगे तो जिस विषय की प्रासंगिकता के बारे मे मैंने आप से प्रश्न किया भावना उठाने वाली बाते क्या होगी ? जिस भाव पर, अर्थ पर नही, पैसे पर नही, भाव पर जीवन आहुति देता है व्यक्ति वह भावना भरने वाला कौन सा गान होगा ? आज आप देखें आपके साहित्य में, आपके पाठ्यक्रम मे कितनी कविताये है, कौन से ऐसे गान है जो देश के बच्चों को, देश के किशोरों को उसमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाते हो । आज हम वंदे मातरम भूलते जा रहे है और जब कोई वदे मातरम भूलेगा तो अपने त्याग का और अपने इतिहास का भी कुछ स्मरण करेगा ? इसलिये मैं इस बात को उठाना चाहता हूं । जहां तक ध्वज की बात है, मैं एक कहानी कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानन्द कितने बडे महापुरुष हुए । वह जब विदेशो मे भ्रमण कर रहे थे तो उनके पास एक पुस्तक थी जिसमें सभी राष्ट्रो के झंडे थे, ध्वज थे । एक बालक किशोर उनके पास आता था , वह पुस्तक उलटाता था । वह बालक आता था ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): He spoke in English.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अगर मुझे तमिल आती तो मैं आपका सम्मान अन्त:-करण से करता ।

SHRI V. GOPALSAMY: Vivekananda gave a historic address in English in Chicago.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): That was in a foreign country.

SHRI V. GOPALSAMY: He could express his views in English.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मने त। कहा है अगर मुझे तमिल आती होती तो उस तमिल भारती मे निश्चितपूर्वक बोलता और आपका ही सम्मान नही मैं तमिल का सम्मान करता । आपके दिल में चाहे जो भावना हो, आपकी भावनाये चाहे जो हो... (**व्यवधान**) ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इनको हिन्दी का नेता बना दीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा ?

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, cutting across party lines this side and that side all have become united about Hindi fanaticism.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, जहां पर हिन्दी फेनेटिसिज्म की बात होगी मैं भी उसका विरोध करुंगा, आप ही नही और हिंदी राष्ट्रभाषा हिन्दी नही रही राजभाषा हिन्दी है । राष्ट्रभाषा मै समझता हूं कि होनी चाहिये थी यह शब्द होना चाहिय था । लकिन हुआ राज भाषा । राजभाषा तो हर राज्य में है चूंकि वहां पर भी कुछ न कुछ तत्व विवेचन की गलती हुई । हर राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं उसी राज्य की राजभाषा तो होनी ही चाहिय थी और हिन्दी को राष्ट्र की भाषा होना चाहिये था। अगर राष्ट्र से भी दुख होता है तो जनसम्पर्क की भाषा और सवाल यह है कि जन सम्पर्क की भाषा हमको विकसित करनी पडेगी । हम चाहे कितना भी प्रयास करे, कितने दिनों तक हम विदेशी भाषा ले जा सकत हैं ? अंग्रेजी, ग्रजी किसी कीमत पर न हमारी संस्कृति की भाषा हो सकती है चूंकि संस्कृति की भाषा हमारी सभी राष्ट्र भाषाएं ही हो सकती है दूसरी भाषा हो ही नही सकती क्योंकि राष्ट्र का, उस देश के इतिहास का, उस देश की सस्कृति का, देश की भूमि का, मिट्टी का, नदी का, जंगल का, पर्वत का, उस देश की हवा का, उस मंदाकिनी का वर्णन दूसरी भाषाओं मे नही मिल सकता है । और तो और विदेशी भाषा हमारी भाषा को ही नहीं हमारी संस्कृति को भी विकृत करती है । मैं इसका कई बार उदाहरण दे चुका हूं, मैं उस पर नही जाना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

चाहता हूं कि भारतवर्ष की बाहर अगर पहचान होगी तो वह किस चीज से होगी ? मैं बार-बार कहता हूं कि दूतावास में आप क्या करते हैं ? क्या भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं ? नहीं करते हैं। आप अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति के प्रचार करते हैं। आप दूर को छोड़ दीजिये, मैं नेपाल की बात करता हूं, नेपाल में जब भारतीय संस्कृति और अंग्रेजी का प्रचार करते हैं तो मैंने खुद उनके मुंह से कहते सुना है कि तुम से अंग्रेजी क्यों सीखें, सेकेण्ड ग्रेड अंग्रेजी है यह, क्यों न हम यह अंग्रेजों से सीखें, जिनकी एम्बेसी यहां पर तैयार है। अगर यह पाश्चात्य संस्कृति सीखना है तो उनसे क्यों न सीखें, तुमसे क्यों सीखें ?

महोदय, हमारे एक मित्र को कहा, एक डाक्टर मित्र को उसके मित्र ने कि तुम यह चिट्ठी अंग्रेजी में लिख रहे हो, क्या तुम्हारे भारतवर्ष में कोई तुम्हारी विकसित भाषा नहीं है, जिससे तुम अपने घर वालों को चिट्ठी लिख सको। उसने उसका मनोभाव नहीं समझा और कहा कि हमारी बंगला भाषा ऐसी है, हमारी तमिल भाषा ऐसी है, तेलगू भाषा ऐसी है, मराठी भाषा ऐसी है, संस्कृत ऐसी है, एक दर्जन भाषाएं गिन दीं कि दुनिया की किस समृद्धशाली भाषा का मुकाबला कर सकती है। एक बार तो उसने विश्वास नहीं किया, कहा कि गलत बोलता है।... (व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, there is one solution for the population problem If you ask all the doctors to give prescription in Hindi, you can solve the problem.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं उसका भी जवाब देने में समर्थ हूं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपने उसकी भावना को नहीं समझा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हनुमनतप्पा): यादव जी, जवाब देने की जरूरत नहीं है। Let us not concert this into a debate on Hindi.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : नहीं-नहीं, मैं डिबेट पर ही हूं। तो उसकी भावना को उन्होंने समझा नहीं। जब समझ लिया कि सचमुच में यह तो उसने कहा कि हम ऐसे साथी से एक साथ बैठना, जो आज भी गुलाम है, नीच है, उसके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। तब उसने अपने घर में अपनी भाषा में चिट्ठी लिखनी शुरू की।

महोदय, स्वामी विवेकानन्द के पास एक बालक आता था। उसके पास झण्डा देखता था, सोचता था, कितना महान है वह देश जिस देश का यह आदमी है, उस देश का झण्डा कौन सा है। उस समय भारत आजाद नहीं था, इसलिये भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, भारत पर यूनियन जैक फहराता था। उसने अपने पिता से पूंछा कि भारतवर्ष का झंडा कौन सा है ? उसने कहा कि भारत का झंडा क्या होगा, वह तो गुलाम है। उसको ध्यान आ गया, पूछा कि तुम विवेकानन्द के साथ जाते हो क्या ? बताया—हां, जाता हूं। बोले—नहीं-नहीं, वह विद्वान हो सकता है, महान हो सकता है, लेकिन गुलाम है और गुलाम के पास जाना ठीक नहीं है। इतने महान आदमियों को भी ठोकर खानी पड़ी। महान नेताओं को जब ठोकर लगी तो उन्होंने आजादी की लड़ाई और उग्र रूप से लड़ी।

जहां तक ध्वज का सवाल है कि ध्वज का सम्मान किस प्रकार से किया जाय, इसको सीखने की आवश्यकता है। ध्वज को सिर्फ ध्वज कह कर नहीं, कपडे का ध्वज कहकर नहीं बल्कि ध्वज एक सम्मान का प्रतीक, स्वाभिमान का प्रतीक हो। हम जब दुनियां में जाते हैं किसी चीज को लेकर, चाहे खेल हों या कुछ हो, तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ध्वज लेकर ही जाते हैं। इसलिये ध्वज के प्रति सिर-कटने की तनाव लेकर उस भाव में अगर नहीं गए तो ध्वज तो कपड ही होगा। ध्वज के पीछे एक भावना होनी चाहिये, उसके पीछे संकल्प होना चाहिये उस ध्वज को ऊंचा रखने के लिये, ध्वज के प्रतीक सम्मान रखने के लिये कि कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं, 1942 में जब पटना में एक कालेज का छात्र आया कि हम झण्डा फहरायेंगे तो वहां के कलेक्टर ने कहा कि जो झंडा फहरायेगा, उसको गोली मार दी जाएगी। एक-एक लड़का आगे

बढ़ता था और उसे गोली मारी जाती थी। इस तरह एक-एक करके आगे लड़के बढ़ते चले गए और उस अंग्रेज के हाथ में जितनी गोलियां थीं, खत्म हो गयीं, लेकिन झंडा लेकर आगे बढ़ने वालों की पंक्ति खत्म नहीं हुई। आज भी सचिवालय में उनका प्रतीक है। तो झंडे का स्वाभिमान करने की जो बात है, उसके लिये मैं चाहता हूं कि इस हिसाब से जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक झंडा खाली झंडा रहेगा।

हमारे मिश्र जी ने तीन-चार बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्होंने भारतीय ध्वज के बारे में कहा है—संविधान या उसके किसी भाग को विकृत, विरूपित, अपवित्र, विद्रूपित या नष्ट करता है या उसे पैरों से कुचलता है या अन्यथा बोले हुये या लिखे हुये शब्दों द्वारा अवमानित करता है, उसे छः वर्षों की अवधि के लिये मताधिकार के लिये समापहरण से दंडित किया जायेगा तथा साथ ही वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्षों तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से भी दंडनीय होगा।"

मैं समझता हूं कि सिर्फ दण्ड की भावना से हिन्दुस्तान की जो भावना विकृत होती जा रही है, वह नहीं सुधरेगी। जब इसको राष्ट्र के कर्णधार लोग संभालेंगे, तभी सुधरेगी। भारत सरकार जब संविधान से खिलवाड़ करेगी तो संविधान के प्रति आदर, सम्मान नहीं होगा। अगर हम चाहते है कि दूसरे हमारा सम्मान करें तो पहले हमें खुद सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम हमारे संविधान का सम्मान नहीं करेंगे हम दूसरे से उसे सम्मानित नहीं करा सकते। उसी प्रकार से राष्ट्रगान भी है। राष्ट्रगान शब्द आते ही एक बात हमारे अन्तःकरण मे यह आनी चाहिये कि हम उठ खड़े हों। इस गान को हम महज गाना समझकर नहीं बल्कि हृदय के उद्गार समझकर प्रकट करें। लेकिन आज राष्ट्र-गान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र का संविधान, राष्ट्र की राष्ट्रभाषा आज राजनीति के शिकार हो गई है। मैं आपको एक बात स्मरण करा देना चाहूंगा कि मैकाले ने जब अंग्रेजी को शुरू किया था तो उसने अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया था वरन् उसने उसकी उपयोगिता बढ़ा दी थी। उसने उसका सम्मान बढ़ा दिया था। भारत की राजभाषा आपने हिन्दी को बना तो दिया लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ायी। उसका सम्मान नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य तो आज है कि आप आज उसकी उपयोगिता नहीं बढा पा रहे हैं। उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आप कल्पना करें जब प्रधान मंत्री जी हिन्दी बोलते हैं तो वह भारत की जनता की वाणी या कोटि-कोटि आत्मा की वाणी प्रकट होती है। लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो मन मे उदासी छा जाती है कि क्यों अंग्रेजी बोलते हैं। मैं याद कराना चाहूंगा माननीय गोर्बाचेव जी केन्द्रीय सभा स्थल पर रसियन मे बोले तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री हिन्दी मे बोलेंगे। लेकिन वे अंग्रेजी में बोले। अंग्रेजी न तो रूस की भाषा है और न रूस अंग्रेजी पसंद करता है। मुझे याद है कि जब सर्वप्रथम पंडित विजया लक्ष्मी जी वहां राजदूत बन कर गयी तो उन्होने अपना परिचयपत्र अंग्रेजी मे दिया। वह लौटा दिया गया। फिर जब हिन्दी मे दिया तो प्रेसिडेंट की हिन्दी सभापति की। उसको भी काट दिया गया। कहा कि यह ठीक नहीं है। तब वहां पूछताछ हुई और राजर्षि टंडन जी ने बताया कि प्रेसिडेंट की हिन्दी राष्ट्रपति होगी। तो वह देश आपकी राजभाषा सुनना चाहता है। आज उस देश के द्विभाषी क्या कहते हैं। वे कहते है कि हम तो हिन्दी राजभाषा सुनना चाहते हैं, लेकिन भारत से आने वाले प्रतिनिधिगण अंग्रेजी बोलते हैं। हम क्या करें। मैं पूछना चाहता हूं कि बाहर विदेश मे आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान वहां आवरण मे होगी, वेशभूषा से होगी और आपकी बोली मे होगी। लेकिन आप अंग्रेजी बोलते है, अंग्रेजी कपड़ा पहनते है।

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

तो आपकी पहचान कैसे होगी। आप किस बुनियाद पर भारतीय संविधान की, भारतीय ध्वज की, भारतीय राष्ट्रभाषा की या राष्ट्रगान की पहचान बना सकेंगे। क्या अंग्रेजी में राष्ट्रगान करेंगे। क्या अंग्रेजों का झण्डा लेकर चलेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज भारत पहचाना जाता है भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन-दर्शन के कारण। अगर आज हमारा कोई विद्वान राजनीति पर बोलता है, विज्ञान और टैक्नोलोजी पर बोलता है तो यूरोप वाले कहते हैं कि यह तुम्हारी कहां है। लेकिन जब वह भारतीय संस्कृति पर बोलता है, भारत के जीवन-दर्शन पर बोलता है तो यूरोप वाले उसको सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको व्यवहार में लाना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संस्कृति का प्रचारक कौन है ? जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानता। यह देश के लिए कितना सम्मान होगा ? कितना परिचय बनेगा आपका ? किस आधार पर परिचय बनेगा ? मैं एक बार राजर्षि टंडन जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दो पंक्ति कबीर की कहना चाहता हूं, जिन्होंने कभी कलम नहीं पकड़ी—"सिंहो के लेहडे नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात।" पैराडाइज लास्ट में इन दो पंक्तियों का कहीं जोड है क्या ? सवाल है कि अगर जोड हो भी तो क्या उस में गंगा की कलकल सुनायी देगी ? क्या उसमें हिमाचल की मंदाकिनी समीर मिलेगी ? क्या उसमें भारत की संस्कृति और वायु मिलेगी ? क्या उसमें यहां की परम्परा मिलेगी ? अंग्रेजी सीखने के लिये हो सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 2000 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुले हुए हैं। आज इन दो हजार स्कूलों को आप देखने जायें तो वहां राज भाषा के खिलाफ कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है यह आप को देखने को मिलेगा। यहां तक कि दीवारों पर भी उस के खिलाफ लिखा जाता है। क्या आज अंग्रेजी के मैकाले के समय से भी अधिक उपयोगिता नहीं बढी है। मैकाले भी अगर कब्र में निकल कर देखे तो कहेगा कि मैंने तो इतना नहीं सोचा था कि भारतवर्ष आजादी के 40 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा का इतना गुलाम बना रहेगा। आप विचार कर के देखें। 40 वर्ष की आजादी का उत्सव जब मनाया जा रहा था तो मुझे दुख हुआ यह देख कर कि हमारे देश के मूर्धन्य नेता राष्ट्र भाषा में नहीं बोल रहे थे। मैं आपको स्मरण कराऊं कि गांधी जी जन-जन के नजदीक कैसे पहुंचे। जन-जन को उन्होंने कैसे उद्वेलित किया, यह वह तब कर पाये कि जब उन्होंने जन जन की भाषा को स्वीकार किया, अंग्रेजी को नहीं और इसी लिये गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो दुनिया को कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। इसी लिये उन्होंने सावधान किया था कि अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरा हम को अंग्रेजी से है इस लिये कि उसके साथ अंग्रेजियत है और अंग्रेजियत एक प्रकार की संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति को तोड़ती है और जो आज भी भारतीय संस्कृति को तोडने का प्रयास कर रही है। जो गोपालस्वामी जी बोलते हैं वह अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी की देन पाकिस्तान भी है जो हमारे महान नेता महात्मा गांधी के सारे विरोध के बावजूद उन्होंने बनाया। किस षडयंत्र से वह बनाया गया वह आज छिपा नहीं रहा है और जो कुछ छिपा था वह भी खुल रहा है। तो जब देश भर में यह हालत हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश प्रेम की भावना, यहां की एकता और अखंडता को कौन जोड़ेगा। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश था। धर्म और संस्कृति के नाम पर यह जोड़ा जाता था। चारों तरफ चार धाम मंदिर थे। सभी जजमानों के पुरोहित उन से उन की भाषा में ही बात करते थे। रामेश्वर का पंडा हमारी भाषा में हम से बात करता है और हमारे यहां गया का पंडा तमिलों से तमिल में बात करता है। वह जोड़े हुए था सब को एक में। लेकिन 40 वर्ष

की आजादी के बाद हम जन संपर्क की एक भाषा को विकसित नही कर पाये। आप छोडिये राज्यो की बात। मैं पूछना चाहता हू कि आपकी केन्द्र सरकार क्या कर रही है। आप ने राज भाषा अधिनियम बनाया। 24 वर्ष इस अधिनियम को पारित हुए हो रहे है लेकिन उसक। आप स्वय पालन नही करते। आपने वार्षिक हिन्दी कार्यक्रम बनाया लेकिन 19 वर्ष मे एक वर्ष के भी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित नही किया। आप ने हर विभाग मे एक राज भाषा कार्यान्वयन समिति बनायी, इप्लीमेटेशन कमेटी; लेकिन इस इप्लीमेटेशन कमेटी के सदस्यगण अपने कार्यो मे हिन्दी अनुभाग को छोड़ दिया जाय तो हिन्दी का व्यवहार एक भी सचिका मे नही करते। आप दूसरो की बात क्यो करते है। आप स्वय विचार कर देखिये। आप की गृह मत्रालय की राज भाषा समिति है। राज भाषा का सचिव वही होता है जो सचिव दूसरे मंत्रालयो मे हिन्दी के रास्ते मे रोड़ा अटका रहा होता है। वही यहा आता है और राज भाषा विभाग राज भाषा विभाग नही है, बल्कि सही कहे तो राज भाषा विरोधी विभाग है और उसके चलते यह राज भाषा अधिनियम कार्यान्वित नही हो पा रहा है। उ।का वार्षिक कार्यक्रम पूरा नही होता है और आपका स्वय बनाया राज भाषा प्रभारी मत्रालय इस काम मे सब से पीछे है। उसकी बैठक हो नही करते और तो और जो आपके विभाग की जिम्मेदारी है वह भी पूरी नही करते मुझे अफसोस होता है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष आपके गृह मंत्री है, लेकिन आज तक राजभाषा के कार्यालय को भी उन्होंने नही देखा है। उनके चरणो की धूलि भी उस कार्यालय मे नही पहुच सकी। तो आपका संपर्क सूत्र का क्या होगा। बाहर आपकी पहचान क्या होगी? जब एक परिवेश मे आप होंगे तभी तो आपकी पहचान होगी।

मैं अत मे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने इसी परिवेश में यूरोप की यत्रा मे देखा कि हिन्दुस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलका के लोग वहां थे। वे मुझे एक या दो फलांग से देखते ही दौड़कर आते थे। वे देखते थे कि इस आदमी का परिवेश ऐसा है तो इसको यहा भोजन मे भी कठिनाई हो सकती है। वे इसलिए कहते थे कि आज शाम को भोजन आप हमारे साथ कीजिए। यह भाषा या वेशभूषा को पहचान है। भाषा या वेशभूषा दूसरे देशो के लिए ताज्जुब की बात होती है, लेकिन आज अपने ही देश के लिए यह ताज्जुब का कारण बन रही है। तो आप विचार कीजिए, सचमुच में यह विधेयक आज के समयानुकूल है, प्रासगिक है। इसमे सविधान के प्रति सदभाव की, राष्ट्र-ध्वज के प्रति सदभाव की, राष्ट्रगान के प्रति और भारत की राजभाषा के प्रति सम्मान और सदभाव की बात कही गई है। इसलिए इस विधेयक को आप स्वीकार कर ले जिससे सचमुच मे देश के लोगो की अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो और हमारी अपनी एक शान हो। यह विधेयक इसी स्वतंत्र पहचान को बनाने के लिए दृढ़ सकल्प है। धन्यवाद।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय साथी श्री शिव कुमार मिश्र जी की ओर से जो यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत विधेयक लाया गया है उसका स्वागत करता हूं। श्री मिश्र जी को एक सासद के रूप में बधाई देता हू कि राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखकर वे यह विधेयक लाए। एक नागरिक के रूप में मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे इस तरह का विधेयक सदन में लाए।

अभी मैं सुन रहा था, [illegible] जो बोल रहे थे, यादव जी बड़ा अच्छा बोलते है, और भी कई हमारे साथी बोल रहे थे। लेकिन वे विधेयक पर कम बोले और भाषा पर ज्यादा बोल रहे थे। इस विधेयक में भाषा को कोई स्थान नहीं है। आप इस विधेयक को लेकर उसकी धाराओं पर बोलें। लेकिन यहां विधेयक पर कम विचार हुआ है।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मुकुल जी, भारत का गौरव बढ़ाने के जितने भी अंश है, सभी पर कहा जा सकता है। क्या भाषा भारत के गौरव को बढ़ाने की चीज नहीं है ?

SHRI V. GOPALSAMY: A country's honour depends on many other things also.

श्री पशुपति नाथ मुकुल : अभी जो विधान संशोधन विधेयक आया था उसमें हिन्दी का प्रश्न आया था। मैंने उसका समर्थन किया था। लेकिन यह तो जो विधेयक लाए हैं हमारे मिश्र जी, यह राष्ट्रीय गौरव का, राष्ट्रीय अखंडता को बचाने के लिए लाए है ... **(व्यवधान)** यह जो विधेयक मिश्र जी लाए है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान और राष्ट्रगान का अपमान न करने की बात है। उसके साथ-साथ विघटनकारी क्रियाकलापों की भी चर्चा हुई कि अगर देश को कोई खण्डित करना चाहे तो उसको दंडित किया जाये। ये मेन 4--5 चीजें हैं जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है। इस विषय में एक कानून पहले से मौजूद हैं और उसका नाम है। Prevention of Insults to National Honour Act, 1971. इस विधेयक में भी मिश्र जी ने इसकी चर्चा की है। 11वी धारा में यह कहा है कि उस अधिनियम को सन 71 के एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि उसमें राष्ट्रीय अखंडता की चर्चा नहीं है। उसमें केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान की चर्चा है। उनको अपमानित करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था है। लेकिन इसमें राष्ट्रीय अखडता का भी समावेश है। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसे समय में विधेयक लाया गया है जब कि हमें अपनी राष्ट्रीय अखंडता पर होने वाले प्रहारों को देख कर उन्हें बचाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जगह-जगह पर जलाया जाता है। कुछ समय पहले कश्मीर में जलाया गया था। पंजाब में 26 जनवरी को, उग्रवादियों ने जलाया था। हमारे तमिलनाडु में संविधान को फाड़ा गया, जलाया गया। इसके लिए तमिलनाडु विधान सभा के अनेक सदस्यों को सदन से निष्कासित किया गया। संविधान का अपमान करने के लिए निष्कासित किया गया था सदन से। विधायक जो शपथ लेते हैं संविधान की अगर वे ही संविधान को जलाने लगें, उस संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान के महत्व की जो चर्चा है और जो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें और अगर हम उनका आदर नहीं करते तो हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़े का टुकडा नहीं है, संविधान महज एक कागज का बंडल नहीं है, राष्ट्रीय गान महज एक कविता नहीं है, कंस्टीटयूंट असेम्बली में 22 जुलाई, 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय झडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया गया था। 22 जुलाई, 1947 को कंस्टीटयूट असेम्बली में इसका निर्णय लिया गया था। उस दिन श्री नेहरू जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कई लोग बोले थे। एक चौधरी खलिकउज्जमां जो बोले थे ...

श्री सत्य प्रकाश मलवीय : आपके प्रदेश के थे वे।

श्री पशुपति नाथ मुकुल : हां, आपके प्रदेश के थे वे। मैं उनको कोट करता हूं :

"I think that from today, everyone, who regards himself as a citizen of India, be he a Muslim, Hindu or Ch-

ristian, will as a citizen make all sacrifices to uphold and maintain the honour of the flag which is accepted and passed as the Flag of India"

ये विचार थे खलिकउज्जला चौधरी साहब के । सबसे अन्त में बोली थी श्रीमती सरोजिनी नायडू । इस राष्ट्रीय ध्वज पर उनके अन्तिम शब्दों को मैं यहां कोट कर रहा हूं ।

"Many of my friends have spoken of this Flag with the poetry of their own hearts. I as a poet and as a woman, am speaking prose to you today when I say that we women stand for the unity of India. Remember, under this Flag there is no prince and there is no peasant, there is no rich and there is no poor. There is no privilege, there is only duty and responsibility and sacrifice, whether we be Hindus or Muslims, Christians, Jains, Sikhs or Zorostrians and others. Our Mother India has one undivided heart and one indivisible spirit. Men and women of re-born India, rise and salute this Flag. I bid you rise and salute the Flag."

The whole Assembly stood up and saluted the Flag.

इसी भावना से हमारा यह झंडा लाया गया था । संविधान सभा ने उसको अपनाया था । उस दिन दो झंडे दिखाये गये थे सदन में, संविधान सभा में । उसमें एक रेशमी झंडा था और दूसरा खादी का झंडा था । वे दोनों झंडे आज भी हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में रख हुये हैं जो वहां पेश किए गए थे । यह महत्व था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का । हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ही हमारे देश की पहचान होती है । हिन्दुस्तान के बाहर जब हम जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रध्वज फहरा रहा हैं तो हम विशष गौरव का अनुभव करते हैं, आनन्दित और उल्लसित होते है । सन् 1982 मे पहली बार जब मैं अमेरिका गया था तो उन दिनों हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जल सिंह भी अपने इलाज के लिए अमेरिका गये हुये थे । उनका इलाज हो चुका था । वे न्यूयार्क के वालडोर्फ आस्टोरिया होटल में ठहरे हुये थे । हम लोग उनसे मिलने के लिए वहा गये थे । वहां पर जब हमने भारत का विशाल झंडा होटल के बाहर फहराते हुये देखा तो रोमांचित हो गये । जिन-जिन देशो में हम जाते है और वहा पर भारत का झण्डा फहराते हुये देखते है तो रोमाचित हो उठते हैं । झण्डा हमारे देश का प्रतीक है आज उसी झण्ड को कुछ चन्द सिर-फिरे लोग जलायें, कुचलें और पददलित करें ।, यह बड़ दुख की बात है । ऐसा वे क्यो करते है ? वे झण्डे को नही, देश को रौंदना चाहते हैं और झडे के माध्यम से देश को रौंदते हैं क्योंकि झण्डा देश का प्रतीक है । ऐसे लोगों की दुर्भावना और दुष्कर्मों को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये और उनको दण्ड मिलना चाहिये । हमारे मिश्रा जी ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं । उन्होंने तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष की दण्ड की व्यवस्था की है । पहले तीन वर्ष के दण्ड की व्यवस्था थी । अब उन्होंने तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष के दण्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है । मैं बिलकुल इससे एग्री करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं । इतना दण्ड तो उनको अवश्य मिलना चाहिये । जैसा हमारा झण्डा है, वैसा ही हमारा संविधान है । हमारी समझ में नही आता कि हमारे तमिलनाडु के लोग संविधान की प्रतियो को क्यों फाड़ते हैं और जलाते हैं ? हमारे श्री गोपालसामी जी ने भी संविधान की प्रतियो को फाड़ा और जलाया है . . . (**व्यवधान**) । . .

SHRI V. GOPALSAMY: I will explain that when my turn comes.

SHRI P. N. SUKUL: You cannot explain. That is why they have been dismissed from the Assembly.

SHRI V. GOPALSAMY: We don't care about it.

SHRI P. N. SUKUL: That is an irresponsible attitude.

SHRI V. GOPALSAMY: That is arrogance on their part.

SHRI P. N. SUKUL: That is the regard that you have for your Constitution.

SHRI V. GOPALSAMY: We will face any consequences on that count.

SHRRI P N. SUKUL: It is a shameful thing.

SHRI V GOPALSAMY. You should be ashamed.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab) All of us should be ashmed of that act of yours.

श्री **पशुपति नाथ सुकुल** : संविधान ने आपका क्या बिगाड़ा है । हमारे देश मे लोकतन्त्र है । आप संविधान को बदल सकते है । अगर आपके साथ लोक शक्ति है तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं । उसको जलाते क्यो है ? आपके घर मे कोई गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कीजिए, घर की व्यवस्था को ठीक कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह . जो संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं करते है वे संविधान का ज्यादा अपमान करते है ।

श्री **पशुपति नाथ सुकुल** : संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ दण्ड की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । इस बात की आज नितान्त आवश्यकता है कि आजादी के चालीस वर्ष के बाद तो कम से कम हम अपने संविधान और राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, उनका सम्मान करना सीखे । अभी तो हमको सीखना है । यहा बैठने के बाद भी अगर हमे सीखने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि इससे बडी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है, इससे बड़ी चिन्तनीय स्थिति क्या होगी ? पिछले साल क्या हुआ ? केरल मे एक स्कूल के तीन छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया । उन्होने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गायेंगे । ये ईसाई धर्म के एक विशेष सम्प्रदाय के छात्र थे । इस सम्प्रदाय के लोग विश्व भर में फैले हुये है । इस सम्प्रदाय का नियम है कि वे किसी भी देश मे राष्ट्रगान को नहीं गाते है । भारत मे ही नही, विश्व भर मे जहा-जहां भी वे है, वहा पर उनका यह नियम है । इस सम्प्रदाय को फेथ आफ जैन्होवांज विटनेस कहते है ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : वह स्कूल कौन सा है ?

श्री पशुपति नाथ सुकुल वह केरल मे है । केरल के शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उन तीन छात्रो को कालेज से निकाल दिया । उसके बाद वे छात्र हाई कोर्ट मे गये और केरल हाई कोर्ट ने भी जो शिक्षा महानिदेशक का निर्णय था, और उनके द्वारा दिया गया दण्ड था उसको उचित ठहराया, वैध ठहराया और वही निर्णय लिया गया कि उनको निकाल दिया जाना चाहिये जिन्होने राष्ट्र गान गाने से मना किया । उसके बाद फिर अपील हुई सर्वोच्च न्यायालय मे और सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया । उन्होने कहा कि आप किसी को राष्ट्र गान गाने के लिए बाध्य नही कर सकते । जो वर्तमान संविधान व्यवस्था है, जो वर्तमान कानून है उसके अनुसार आप किसी को जबर्दस्ती राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नही कर सकते । अगर राष्ट्रीय गान होता है और आदमी खड़े हो जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है, नही गाता है तो आप उसको यह नही कह सकते कि उसने गैर-कानूनी काम किया है । यह जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसकी मै एक लाइन यहां कोट कर रहा हूं : There is no provision of law which obliges anyone to sing the National Anthem, if a person who stands up respectfully when the National Anthem is sung does not join the singing."

यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयहै कि अगर वह खड़ा हो जाता है और राष्ट्र गान नही गाता है तो हम उसको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते । इसलिए आज जरूरी है कि हम इस कानून को बदलें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा मे जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो निर्णय दिया जा . . .

श्री पशुपति नाथ सुकुल : मैं बता रहा हूं । आपको शायद मालूम नहीं है कि अटार्नी जनरल और तीन दूसरे लोगों ने रिट आफ मैं डमस फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, बडी पीठ इस विषय पर पुनर्विचार कर रही है और यह मैटर आलरेडी कोर्ट के पास पेंडिग है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री पवन कुमार बांसल : मैटर पेंडिग है . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You can amend the law.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The question is of proper interpretaton of law. Proper interpretation of the existing law is required and nothing else.

पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिग है . . . **(व्यवधान)** . . अमेंडमेंट कैसे होगा । आप पूरी बात को समझने की कोशिश करिए ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी लोक सभा मे जो कहा वह मै आपक सुना रहा हूं । उन्होने क्या कहा ?

श्री पवन कुमार बासल : सरकार ने रिव्यू इपलीकेशन फाइल करवाया है ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : I quote the words of Prime Minister Rajiv Gandhi:

"These symbols, in a sence, embody the soul and the spirit of the nation. They are and they must be sacred to us And they are an integral part of our freedom, of our unity. They have come out of freedom struggle. They are the symbols of free India today."

These are his words, these are his sentiments, thes are his feelings, and this is the atitude of our Government.

लेकिन जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय से हो जाता है तो उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता अगर महसूस की जाती है और अगर उसका स्कोप भी है, गुंजाइश भी है तो उसको रेफर किया जाता है । अटार्नी जनरल और दूसरे लोगों ने उसको रेफर किया है ।

उसके बाद जरूरत हुई तो कानून भी बदला जा सकता है । हमारे मिश्रा जी यह बिल लाये हैं और वे चाहते है यह कानून का जामा पहने और वे इसको पास करवाना चाहते है । इस बिल के पीछे जो भावना है इस पर हमारे जितने साथी बोले है चाहे वे ईस साईड के बोलें हो चाहे उस साइड के बोले है सबने इस विधेयक की भावना का समर्थन किया है और इस आवश्यकता पर बल दिया है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीजे है जैसे राष्ट्रीय गान है, संविधान है राष्ट्रीय ध्वज है उनका अगर कोई अपमान करता है तो उसको समुचित दंड मिलना चाहिये । आपको याद होगा कि राष्ट्रीय गान, 1950—60 में सिनेमा हालों में गाया जाता था । कहीं पिक्चर शुरू होने के पहले और कही पर खत्म होने पर । मैंने स्वयं देखा है कि कुछ लोग खड़े हो जाते थे और कुछ बैठे रहते थे और तभी उसको बन्द किया गया . . . **(व्यवधान)** . . . कुछ लोग खड़े होते थे और बहुत से बैठे रहते थे । **(समय की घंटी)**

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : बद कीजिए, समय हो गया ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल . अगली बार मुझे मौका दें ।

5 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): This discussion will continue next time. Now, Mr. Gadavi to lay the paper.

PAPER LAID ON THE TABLE—contd.

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under the Customs Act, 1962.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI D. K. GADHVI): Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 372|87-Customs, dated the 4th December, 1987, seeking to reduce the basic customs duty on caprolactam from 65 per cent ad *valorem* to 45 per cent *ad valorem*, together with an Explanatory Memorandum thereon.

[Placed in Library. *See* No. LT-5173--A. |87]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Discusion on the special mention will continue on Monday.

The House stands adjourned till 11 O' clock on Monday.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7th December, 1987.